42

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

ब्यालीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फ़रवरी, 2023/माघ,1944 (शक)

ब्यालीसवाँ प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

09.02.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
09.02.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फ़रवरी, 2023/माघ,1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (ii)

प्राक्कथन (iii)

अध्याय एक प्रतिवेदन

अध्याय दो टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है

अध्याय तीन टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

अध्याय चार टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

अध्याय पांच टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

अनुबंध

एक. समिति की _____ को हुई ___वीं बैठक का कार्यवाही सारांश

दो. समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल
6. श्री जयदेव गल्ला
7. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
8. डॉ. सुकान्त मजूमदार
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर
13. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
14. श्री संजय सेठ
15. श्री गणेश सिंह
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
17. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
20. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
21. श्री एस. जगतरक्षकन

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
24. डॉ. जॉन ब्रिटास
25. श्री सैयद नासिर हुसैन
26. श्री इलयराजा
27. श्री जग्गेश
28. श्री प्रफुल्ल पटेल
29. श्री कार्तिकेय शर्मा
30. श्री जवाहर सरकार
31. श्री लहर सिंह सिरोया

सचिवालय

1. श्री सतपाल गुलाटी	-	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी	-	निदेशक
3. श्री अभिषेक शर्मा	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

समाचार भाग - दो, दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 के पैरा संख्या 5288 के तहत समिति का 13 सितंबर, 2022 को गठन।

@ समाचार भाग - दो, दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 के पैरा संख्या 5311 के तहत डॉ. शशि थरूर के स्थान पर डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद को नामनिर्देशित किया गया।

प्राक्कथन

मैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी ब्यालीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. पैंतीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 21 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया गया था और इसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपना की गई कार्रवाई टिप्पण 16 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत किया था।

3. समिति ने 7 फ़रवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय-एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली;
8 फ़रवरी, 2023
19 **माघ,1944 (शक)**

प्रतापराव जाधव,
सभापति,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय एक

प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों)2022-23(' पर समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन)सत्रहवीं लोक सभा (में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. पैंतीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 21 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया गया था /राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 18 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है-:

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है:
सिफारिश क्रम संख्या:- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 और 18

कुल- 16
अध्याय- दो

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

कुल- शून्य
अध्याय- तीन

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:
सिफारिश क्रम संख्या: 4

कुल- 01
अध्याय- चार

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं:
सिफारिश क्रम संख्या: 13

कुल- 01
अध्याय- पांच

3. समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यंत महत्व दिया जाएगा। समिति आगे चाहती है कि प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई विवरण और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की-गई-कार्रवाई उत्तर इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात शीघ्र ही समिति को प्रस्तुत किए जाए।

4. अब समिति अपनी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में चर्चा करेगी।

<u>राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 4)

5. समिति ने 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर अपने पैंतीसवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 720+ जिलों के सभी स्तरों पर सरकार को आईसीटी सहायता प्रदान करता है। एनआईसीनेट, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में सरकारी कार्यालयों के 1000 से अधिक लैन और 8000 से अधिक स्थानों पर 5 लाख से अधिक नोड्स शामिल हैं। एनआईसी के डाटा सेंटर सुरक्षित वातावरण में सरकार की 8000 से अधिक वेबसाइटों की मेजबानी करते हैं। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि एनआईसी का मुख्य ध्यान नवीनतम अत्याधुनिक आईसीटी अवसंरचना प्रदान करने पर है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को ई-गवर्नेंस सहायता, अत्याधुनिक समाधान प्रदान करता है। एनआईसी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सहयोग से डिजिटल प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम स्तर तक प्राप्ति एक वास्तविकता बन जाती है। एनआईसी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्रमिक रूप से अपने बुनियादी ढांचे का उन्नयन कर रहा है। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने एनआईसी के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया था, जिसमें से बीई स्तर पर 1450 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने सूचित किया है कि 2022-23 के दौरान एनआईसी के लिए निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि मुख्यरूप से पूंजीगत बजट के अंतर्गत निधि की आवश्यकता को कम किया गया जिसके कारण निधियों की उपलब्धता के आधार पर जिलों में आईसीटी अवसंरचना का

उन्नयन चरणबद्ध तरीके से करना पड़ा। समिति नोट करती है कि एनआईसी ई-गवर्नेंस कार्यक्रम और डिजिटल आईसीटी अनुप्रयोगों में एक सक्रिय उत्प्रेरक और सुविधाप्रदाता रहा है। जहां तक सरकार की आईसीटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का संबंध है, यह जिलों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संगठन को लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जनशक्ति, बुनियादी अवसंरचना और जिला केन्द्रों के उन्नयन के लिए निधियों की कमी में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने मिशन को जारी रखने के लिए, एनआईसी को निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

ऐसे कठिन समय के दौरान निर्बाध निर्बाध सेवाएं प्रदान करने वाले डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एनआईसी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, विशेषरूप से अवसंरचना संबंधी चिंताएं ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक सुपुर्दगी प्रदान करने की उनकी क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके। समिति यह जानकर निराश है कि एनआईसी की मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता और अवसंरचना संबंधी जरूरतों की व्यापक समीक्षा करने की उनकी सिफारिश के बावजूद, मंत्रालय ने उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए बहुत कम कार्य किए हैं। समिति एक बार फिर मंत्रालय को एनआईसी में मानव संसाधन की कमी के मुद्दे पर विचार करने की सिफारिश करती है। अवसंरचना के संबंध में, समिति का यह सुविचारित मत है कि मंत्रालय को जिला स्तर पर अवसंरचना में सुधार के लिए पूंजी शीर्ष के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर डालने की आवश्यकता है। समिति चाहती है कि मंत्रालय एनआईसी में मानव संसाधन और बुनियादी अवसंरचना संबंधी बाधाओं दोनों को यथाशीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मानव संसाधन के उन्नयन के लिए पहले का प्रस्ताव बिना किसी ठोस परिणाम के अटक गया है, समिति सिफारिश करती है कि सभी अंशधारकों को शामिल कर संगठन की मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई व्यावहारिक योजना तैयार की जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

6. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"डाटा सेंटर और जिला अवसंरचना प्रभाग:

- पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और उनके राष्ट्रीय रोल-आउट ने इनमें और कोर सेवाओं जैसे डेटा सेंटर, नेटवर्क संचालन, साइबर सुरक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि में मानव शक्ति संसाधनों में वृद्धि की आवश्यकता को जरूरी कर दिया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जी-टू-सी और जी-टू-जी में डिजिटल सेवाओं के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। आईसीटी को अपनाने से नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डेटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन स्टैक, आईजीओटी, संदेश, प्रशिक्षण आदि जैसे विशेष बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता भी शुरू हो गई है।
- एनआईसी को सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एनआईसी (मुख्यालय) में जनशक्ति संसाधनों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को समायोजित करने के लिए जगह की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्थित एनआईसी के मास्टर अर्थ स्टेशन (एमईएस) साइट के पुनर्निर्माण/पुनर्विकास द्वारा स्थान की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।
- एमईएस साइट के पुनर्विकास से केवल 35000 वर्गफुट प्रयोग करने योग्य स्थान उपलब्ध होगा, जो आंशिक रूप से एनआईसी की स्थान संबंधी आवश्यकता को पूरा करेगा।
- इस संबंध में एनआईसी के अनुरोध पर सीपीडब्ल्यूडी ने 85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मौजूदा एमईएस साइट के पुनर्निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लेआउट और अनुमानित लागत की सहमति और अनुमोदन के बाद प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) संबंधी स्थिति से सीपीडब्ल्यूडी को अवगत करा दिया गया है। साइट को सीपीडब्ल्यूडी को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।
- विभिन्न एजेंसियों से अनुमोदन लेना, निर्माण कार्य के लिए एजेंसी के चयन के लिए निविदा तैयारी आदि जैसी पूर्व-निर्माण गतिविधियां सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू की गई हैं।
- पूरे देश में 762 एनआईसी जिला केंद्र (नवनिर्मित जिलों सहित) हैं और प्रत्येक जिला केंद्र में कम से कम दो तकनीकी जनशक्ति द्वारा संचालित है, जो जिला प्रशासन को इसकी आईसीटी आवश्यकता और ई-गवर्नेंस में मदद करता है। जिला प्रशासन में सुधार करने के लिए एनआईसी, जिला केंद्रों को आईसीटी समर्थन, नेटवर्क कनेक्टिविटी आदि के संदर्भ में आवश्यक बुनियादी आईसीटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कर रहा है। एनआईसी जिला केंद्रों के लिए स्थान संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 2013-2018 की अवधि में 17 राज्यों में 88 नए एनआईसी जिला केंद्र बनाए गए हैं।

- 2021-2022 में 10 राज्यों में फैले 20 नए एनआईसी जिला केंद्रों को मंजूरी दी गई है और इनकी स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।
- वर्तमान में 5 राज्यों में 20 नए एनआईसी जिला केंद्रों की स्थापना को अनुमोदित करने की प्रक्रिया चल रही है।

जनशक्ति की कमी:

वर्ष 2014 में एनआईसी में 1407 (अब 1392 पर काम किया गया) पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रस्ताव को सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद माननीय मंत्री, ई एंड आईटी द्वारा अनुमोदित किया गया था और सहमति के लिए इसे वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने वाले वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव की विधिवत गठित आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई है और विस्तृत स्पष्टीकरण फरवरी, 2020 में आगे विचार करने के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से वित्त मंत्रालय के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियों और अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिसे संकलित किया गया है और सितंबर 2021 में प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा विभिन्न राज्यों में 128 नव निर्मित जिलों के लिए नए एनआईसी जिला केंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक 256 पदों के सृजन द्वारा परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।"

7. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि मंत्रालय एनआईसी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो और उसके सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से अवसंरचना संबंधी समस्याओं, का समाधान करे ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक संपूर्ति करने की एनआईसी की क्षमता को बल मिले। समिति ने यह नोट कर निराशा व्यक्त की कि मंत्रालय ने एनआईसी की मानव संसाधन आवश्यकता और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा करने की दिशा में बहुत कम काम किया है। समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय एनआईसी में मानव संसाधन की कमी की समस्या पर ध्यान दे। अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में मंत्रालय ने सूचित किया है कि पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर उनके शुरू होने ने डेटा केंद्र, नेटवर्क संचालन, साइबर सुरक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि जैसी मुख्य सेवाओं में जनशक्ति संसाधनों में**

वृद्धि अत्यावश्यक हो गई है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने जी-टू-सी और जी-टू-जी में डिजिटल सेवाओं के उपयोग में तेजी से वृद्धि की है। आईसीटी को अपनाने में वृद्धि ने नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन स्टैक, आईजीओटी, संदेश, प्रशिक्षण आदि जैसे विशिष्ट अवसंरचना की स्थापना की आवश्यकता को भी जन्म दिया है। एनआईसी में 1407 पदों के सृजन (जिसे बाद में 1392 कर दिया गया) जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, की स्थिति के विषय में यह जानकारी दी गई कि प्रस्ताव को माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित किया गया था और स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग के साथ वित्त मंत्रालय से वापस आए प्रस्ताव की जांच विधिवत गठित आंतरिक समिति द्वारा की गई थी और विस्तृत स्पष्टीकरण को फरवरी, 2020 में आगे के विचार के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फिर से प्रस्तुत कर दिया गया था। तथापि, वित्त मंत्रालय ने कुछ और टिप्पणियां की थीं और अतिरिक्त जानकारी की मांग की थी, जिसे संकलित किया गया था और सितंबर 2021 में प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फिर से प्रस्तुत कर दिया गया था। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि एनआईसी में 1407 पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी, विभिन्न कारणों के चलते इस पर वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित है। इस तथ्य के आलोक में, कि एनआईसी सरकार की आईसीटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रदान करता है और कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान कामकाज की निरंतरता सुनिश्चित करने में इसके द्वारा निभाई गई भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। समिति इस बात पर बल देती है कि मंत्रालय एनआईसी में मानव संसाधन और अवसंरचना संबंधी बाधाओं, दोनों को ही जल्द से जल्द दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करे।

ई-गवर्नेंस-डिजीलॉकर

(सिफारिश क्रम सं. 11)

8. समिति ने 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर अपने पैंतीसवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"समिति नोट करती है कि डिजिटल लॉकर निवासियों को दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण, सत्यापन के लिए एक वैयक्तिक स्थान के रूप में एक समर्पित क्लाउड आधारित मंच प्रदान करता है। समिति नोट करती है कि 9.22 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए हैं और विभाग द्वारा जारी किए गए 486 करोड़ दस्तावेज डिजिटल लॉकर में उपलब्ध हैं। समिति 'डिजिलॉकर' के संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि डिजिलॉकर अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है जो लोगों को कागजी रिकॉर्ड ले जाने या देखने या मुद्रित प्रमाण पत्र देखने की आवश्यकता को दूर करने और काम करने के डिजिटल तरीके से पूरी तरह से स्विच करने में सक्षम बनाता है, समिति ने यह भी पाया कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए 'गोपनीयता' एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। समिति यह भी नोट करती है कि यह भौतिक कार्ड रखने के बजाय डिजिटल पहचान के रूप में आधार की तर्ज पर सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। समिति को यह बताया गया है कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने अनुदेश जारी किए हैं और डिजिलॉकर का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। डिजिलॉकर देश में ई-हेल्थ लॉकर की स्थापना की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत कई लाभों को नोट करते हुए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा 'डिजिलॉकर' का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति मंत्रालय को डिजिटल लॉकर को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास करने की भी सिफारिश करती है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, जब देश एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है, तो डिजीलॉकर, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ई-कोर्ट और न्याय प्लेटफार्मों आदि में राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि जैसी पहलों के माध्यम से प्रत्येक मुख्य क्षेत्रों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समिति को यह ज्ञात है कि राष्ट्रीय डाटा सेंटर नीति और हाइपर स्केल डाटा सेंटर योजनाएं तैयार हैं। मंत्रालय ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया था। समिति चाहती है कि उपर्युक्त नीतियों को अंतिम रूप दिया जाए और योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए।"

9. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"निजता के संबंध में: उपयोगकर्ता के दस्तावेज़ों को किसी भी विभाग/संगठन के साथ साझा करने के लिए डिजिलॉकर में दस्तावेज़ों का एक्सेस तंत्र उपयोगकर्ता द्वारा उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और प्राधिकरण के सिद्धांत का पालन करता है। केवल उपयोगकर्ता की सहमति पर कोई भी डेटा साझा किया जाता है। यह उपयोगकर्ता के डेटा/दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

सुरक्षा के संबंध में: डिजिलॉकर मानक सुरक्षा प्रथाओं का पालन करता है और इसका नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट होता है। इसके अलावा डिजिलॉकर में किसी भी गतिविधि के दौरान प्रेषित जानकारी के लिए सुरक्षा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आधारित साइन-अप और साइन-इन, टाइम लॉग आउट, आईएसओ 27001 सुरक्षा प्रमाणित डेटा सेंटर पर डिजिलॉकर सिस्टम की होस्ट, X.509 आरएसए 2048 बिट्स सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) एन्क्रिप्शन जैसे चरणों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

उपयोगकर्ता आधार में वृद्धि के संबंध में: एमईआईटीवाई ने डिजिलॉकर से डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए नियामक/ नीति स्तर में बदलाव लाने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप किए हैं। इनमें से कुछ आररबीआई,एसईबीआई,बीसीएएस,रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एमओआरटीएच द्वारा डिजिलॉकर की स्वीकृति हैं। कुछ प्रमुख परिवर्तनकारी निर्णय जो डिजिटल दस्तावेजों की खपत में वृद्धि को बढ़ावा देंगे,वे निम्नानुसार हैं: डीएआरपीजी ने नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी मंत्रालयों/सांविधिक निकायों/पीएसयू को डिजिलॉकर अपनाने के लिए अधिसूचित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि डिजिलॉकर राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के लिए एकमात्र भंडार होगा। डीबीटी मिशन ने अपनी सभी योजनाओं के लिए डिजिलॉकर सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी अधिसूचित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में 12 करोड़ उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया गया है और विभाग द्वारा जारी किए गए 560 करोड़ दस्तावेज डिजिटल लॉकर के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉकर को लोकप्रिय बनाने और इसके उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित की योजना बनाई जा रही है: कुछ विभाग जैसे एमओडी, एमओएच, ईपीएफओ, आईटीआर, आरजीआई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एनआरईजीए जॉब कार्ड, एसएआई, एनजीडीआरएस, ई-श्रम कार्ड, राज्य विश्वविद्यालयों आदि डिजिलॉकर पर अपनी सेवाओं को लाने के लिए से संपर्क में है। वर्तमान में डिजिलॉकर देश में ई-हेल्थ लॉकर स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय डेटा केंद्र नीति और हाइपर स्केल डेटा केंद्र योजनाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में: हितधारक परामर्श के दौरान प्राप्त इनपुट के आधार पर राष्ट्रीय डेटा केंद्र और क्लाउड नीति और डेटा केंद्र योजना

को संशोधित किया गया है। संशोधित नीति और योजना एमईआईटीवाई में अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन है।"

10. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि डिजीलॉकर अपने आप में लोगों को कागजी दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करने और काम करने के डिजिटल तरीके पर पूरी तरह से स्विच करने में सक्षम बनाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है, अपने पैंतीसवें प्रतिवेदन में समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय डिजिटल लॉकर को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करे ताकि इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या को बढ़ाया जा सके। साथ ही 'डिजीलॉकर' सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की गोपनीयता को प्राथमिकता दी जाए। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में कहा है कि डिजीलॉकर उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और प्राधिकरण के सिद्धांत का पालन करता है और किसी भी गतिविधि के दौरान सूचना के अंतरण के लिए मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण आधारित साइन-अप और साइन-इन, टाइम्ड लॉग आउट, आईएसओ 27001 सुरक्षा प्रमाणित डेटा सेंटर पर डिजीलॉकर सिस्टम की होस्टिंग, एक्स.509 आरएसए 2048 बिट्स सुरक्षित सॉकेट लेयर (एसएसएल) एन्क्रिप्शन जैसे उपायों को नियोजित करता है। डिजिटल लॉकर को लोकप्रिय बनाने के उपायों के विषय में यह जानकारी दी गई कि एमईआईटीवाई ने डिजीलॉकर से डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए नियामक / नीतिगत स्तर पर बदलाव लाने हेतु विभिन्न प्रयास किए। इनमें से कुछ प्रयास आरबीआई, सेबी, बीसीएएस, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एमओआरटीएच द्वारा डिजीलॉकर की स्वीकृति हैं। यह भी बताया गया कि वर्तमान में 12 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण किया है और विभाग द्वारा जारी किए गए 560 करोड़ दस्तावेज डिजिटल लॉकर के पास उपलब्ध हैं। डिजीलॉकर पर व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षोपायों की सराहना करते हुए समिति ने पाया कि डिजीलॉकर द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए इसका मौजूदा उपयोगकर्ता आधार, जो वर्तमान में लगभग 12 करोड़ उपयोगकर्ताओं का है, अत्यधिक कम है और डिजीलॉकर में संग्रहीत /रखे गए डिजिटल दस्तावेजों की व्यापक स्वीकृति के लिए नियामक / नीतिगत स्तर पर बदलाव करने के माध्यम से इसे अपनाए जाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। डिजीलॉकर सेवाओं के उपयोग के लाभों के संबंध में व्यापक प्रचार करने और डिजीलॉकर के उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड संस्थानों / निकायों द्वारा इसकी स्वीकृति को भी प्रचारित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)

(सिफारिश क्रम सं. 13)

11. समिति ने 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर अपने पैंतीसवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का उद्देश्य संसाधनों के आदान-प्रदान और सहयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ना है। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है। संस्थानों के लिए 1752 लिंक्स प्रारंभ किए गए हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों से 522 एनकेएन लिंक जोड़े गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एनकेएन देश में सभी ई-गवर्नेंस पहलों के लिए बैकबोन नेटवर्क है। शैक्षिक संस्थानों के अलावा, एनकेएन चार राष्ट्रीय डाटा केंद्रों (एनडीसी), 31 राज्य डाटा केंद्रों (एसडीसी), 30 स्वैन राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), मंत्रालयों, विभागों और मिशन उन्मुख एजेंसियों को जोड़ता है, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डीआरडीओ, पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष, आईसीएआर, एमएचआरडी आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि डिजिटल सूचना सूचना-मार्ग (डीआईआई), जो एनकेएन का अगला चरण है, अनुमोदन के अंतिम चरण में है। डीआईआई प्रभावी शासन की आवश्यकता को पूरा करेगा और अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के मध्य सहयोग और ज्ञान संसाधन साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। समिति नोट करती है कि 786 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले, 2022-23 के दौरान एनकेएन के लिए बजट अनुमान चरण में 650 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। समिति को बताया गया है कि अनुपूरक अनुदान मांगों में अतिरिक्त निधियों की मांग करने के प्रयास किए जाएंगे।

समिति का मत है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एक तरफ सुदृढ़ और विश्वसनीय नेटवर्क प्रदान करने तथा दूसरी तरफ देश में ज्ञान को समृद्ध करने के लिए सूचना और ज्ञान तक निशुल्क पहुंच के दोनों लक्ष्यों को पूरा करता है। समिति का मत है कि परियोजना के सफल कार्यान्वयन से हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी प्रदान करने और सहयोगी संस्थाओं के बीच ज्ञान भागीदारी को सुगम बनाने से अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि यूनिफाइड गवर्मेंट नेटवर्क जो की अग्रिम चरण पर है, बनाने के लिए एनकेएन अर्थात डिजिटल इंफॉर्मेशनइंफो के अगले चरण के लिए अनुमोदन शीघ्र लिया जाए क्योंकि एनकेएन देश में सभी ई-गवर्नेंस उपायों के लिए बैकबोन नेटवर्क भी है। इसलिए यह आवश्यक है

कि ई-गवर्नेंस कि पहलुओं के सफल कार्यान्वयन के लिए एनकेएन को सुदृढ़ किया जाए। इस बारे में समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधियों के आबंटन हेतु सभी उपाय करें।"

12. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"नोट किया गया। प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।"

13. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में कहा था कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का उद्देश्य संसाधनों के आदान-प्रदान और सहयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थाओं को आपस में जोड़ना है। एनकेएन देश में सभी ई-गवर्नेंस पहलों के लिए आधार नेटवर्क के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि शैक्षिक संस्थाओं के अलावा एनकेएन चार राष्ट्रीय डेटा केंद्रों (एनडीसी), 31 राज्य डेटा केंद्रों (एसडीसी), 30 स्वैन राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), मंत्रालयों, विभागों और मिशन उन्मुख एजेंसियों, जिसमें एस एंड टी, डीआरडीओ, पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष, आईसीएआर, एमएचआरडी आदि शामिल हैं, को भी जोड़ता है। यह भी जानकारी दी गई थी कि डिजिटल सूचना इन्फोवे (डीआईआई) जो एनकेएन का अगला चरण है, उसके अनुमोदन का कार्य काफी आगे बढ़ गया है। डीआईआई प्रभावी शासन की आवश्यकता को पूरा करेगा और अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान संसाधन साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। समिति का मत था कि परियोजना के सफल कार्यान्वयन से उच्च गति वाली आधार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अवसंरचना को सशक्त किया जाएगा और सहयोगी संस्थानों के बीच ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करके अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में जानकारी दी कि प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। समिति आग्रह करती है कि एनकेएन परियोजना और क्रमिक डीआईआई के कार्यान्वयन, जो महामारी के दौरान देश के समक्ष आए अनुभवों को देखते हुए कोविड-19 के बाद के समय के लिए बहुत महत्व रखता है, में तेजी लाई जाए।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

बजट विश्लेषण.

(सिफारिश क्रम संख्या 1)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने 14300 करोड़ रुपए की विस्तृत अनुदानों की मांगें रखी हैं जिनमें से राजस्व खंड के अंतर्गत 13911.99 करोड़ रुपए और पूंजी खंड के अंतर्गत 388.01 करोड़ रुपए हैं। यह राशि ब.अ. स्तर 2021-22 पर किए गए आबंटन से 4579.34 करोड़ रुपए अधिक है। ब.अ. 2022-23 में राजस्व प्रावधान को 4637.33 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया जब उसकी तुलना 2021-22 के ब.अ. के साथ की गई और इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु "बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के उत्पादन हेतु पीएलआई" के लिए 5300 करोड़ रुपए निर्धारित थे जबकि 2022-23 के दौरान पूंजी खंड के अंतर्गत आबंटन में 58 करोड़ रुपए तक कमी कर दी गई है।

निधियों के उपयोग के संबंध में समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान राजस्व खंड के अंतर्गत ब.अ. स्तर पर 9274.66 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 9174.25 करोड़ रुपए कर दिया गया था जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर पहली दो तिमाहियों में व्यय की धीमी गति और द्वितीय तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए प्रतिबंध थे। 31 जनवरी, 2022 को वास्तविक व्यय मात्र 5559.42 करोड़ रुपए रहा है। पूंजी खंड के अंतर्गत 2021-22 के लिए ब.अ. स्तर पर 446 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 407 करोड़ रूपए कर दिया गया था और जनवरी, 2022 तक वास्तविक उपयोग मात्र 157.21 करोड़ रुपए रहा है। समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान 'एसटीक्यूसी कार्यक्रम', 'साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन) एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस', 'ईएपी सहित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस', 'जनशक्ति विकास', 'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन, 'आईटी और आईटीईज को प्रोत्साहन', 'आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/ सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास', 'डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन' आदि जैसी अनेक योजना स्कीमों के

अंतर्गत निधियों का काफी कम उपयोग हुआ है। मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया है कि 'जनशक्ति विकास', 'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन' तथा 'आईटी और आईटीइज उद्योगों को प्रोत्साहन' जैसी योजनाओं के अंतर्गत ब.अ. के विशेष संदर्भ में गत तीन वर्षों के दौरान निधियों का निरंतर कम उपयोग हुआ है।

यद्यपि 2021-22 के दौरान निधियों का उपयोग जनवरी, 2022 तक धीमा बना रहा और मंत्रालय पूरी आबंटन राशि का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो मंत्रालय ने 2022-23 के लिए 16223.21 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है और ब.अ. स्तर पर उन्हें 14300 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। ऐसी योजनाएं जिन्हें आबंटन राशि का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है वे 'इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस', 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, 'बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर हेतु पीएलआई,' 'यूआईडीएआई' आदि हैं। समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अद्यतन निधियों के उपयोग राशि 7789 करोड़ रुपए है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान का लगभग 80 प्रतिशत बैठती है। समिति यह समझती है कि मंत्रालय को व्यय का बड़ा भाग डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन पर करना पड़ता था जो कि वित्तीय वर्ष के अंत तक चले डिजिटल भुगतान में संलग्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति था। जबकि मंत्रालय यह स्पष्टीकरण कि कुछ व्यय में बैंकों और भुगतान संगठनों के साथ अंतिम समय मिलाने में थे। तथापि यह तथ्य ध्यान में रखते हुए समग्र 80 प्रतिशत व्यय अब भी चिंता का विषय है कि मंत्रालय सरकार के कुछ अग्रणी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ चालू योजनाओं के अंतर्गत निधियों का निरंतर कम उपयोग हुआ है। यह समिति के लिए चिंता का कारण है। समिति की सुविचारित राय है कि 2022-23 के दौरान व्यय की गति पर निगरानी करने की आवश्यकता है क्योंकि आबंटन में और वृद्धि की गई है। समिति की इच्छा है कि ब.अ. से सं.अ. स्तर पर निधियों की कमी करने की प्रवृत्ति को सख्तीपूर्वक टाला जाए ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित नहीं हो। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय वित्तीय वर्ष के अंत में जल्दबाजी में की जाने वाली कार्रवाई से बचे। समिति को उपयुक्त चिंताओं का निवारण करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

समिति के सम्मानित विचारों और टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष के अंत में आरई चरण में निधि की कमी और अधिक व्यय से बचने के लिए सिफारिशों के अनुपालन के संबंध में यह कहा गया है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधि के प्रवाह के लिए एक संशोधित प्रक्रिया [प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड या प्रतिपूर्ति मोड में मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अलावा] को वर्तमान में सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त मंत्रालय (**अनुबंध-I**) के दिशानिर्देशों और अनुदेशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। पार्किंग ऑफ़ फंड्स के संबंध में व्यय को नियंत्रित करने और वास्तविक समय के आधार पर जारी निधियों के उपयोग की निगरानी में निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया से मंत्रालयों को मदद मिलेगी। केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से लाभप्रद होगी:

- केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत पार्किंग ऑफ़ फंड्स नहीं होगा। केंद्रीय क्षेत्र की सभी योजनाओं के तहत लाभार्थियों/विक्रेताओं को जारी की जाने वाली राशि 'जस्ट-इन-टाइम' होगी।
- **मॉडल I** : 500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक परिव्यय वाली योजनाओं के तहत, केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा उप एजेंसियों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उनके उप-असाइनमेंट खातों में खोले गए असाइनमेंट खातों के माध्यम से जारी किया जाएगा। अप्रयुक्त कार्य वर्ष के अंत में सरकार के पास समाप्त हो जाएंगे और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
- **मॉडल II**: 500 करोड़ रुपये से कम के वार्षिक परिव्यय वाली योजनाओं के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा खोले गए केंद्रीय नोडल खाते के माध्यम से उप एजेंसियों को रिलीज की जाएगी। सीएनए के पास उपलब्ध योजना की शेष निधि को ध्यान में रखते हुए और आवश्यकता के आधार पर सख्ती से धनराशि जारी की जाएगी। एक वित्तीय वर्ष में मंत्रालय को किसी भी स्थिति में योजना के तहत निर्धारित बजट का

25% से अधिक जारी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त धनराशि (एक बार में 25% से अधिक नहीं) केवल उस वित्तीय वर्ष के दौरान पहले जारी की गई निधियों के कम से कम 75% के उपयोग पर जारी की जाएगी।

निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के तहत मंत्रालय/विभाग केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत बजट का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि निधियों को समय पर जारी करने और निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में रिलीज़ की अन्य शर्तों को देखते हुए अधिक व्यय का कोई अंतिम समय नहीं होगा और निधियों के उपयोग पर भी नजर रखी जा सकती है।

व्यय की स्थिति और आवश्यक कदमों की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें की जाती हैं। इसके अलावा कार्यक्रम प्रमुखों को समय-समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

<u>बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) की स्थिति</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 2)

समिति नोट करती है कि दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार 635.89 करोड़ रुपए की राशि वाले कुल 220 उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया थे। मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय फलकारी सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों में निरंतर कमी आ रही है। समिति यह समझती है कि 1.04.2021 से 01.02.2022 की अवधि में 684.86 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी रिक्ति की निगरानी/समीक्षा करता रहता है जो कि यह भी सुनिश्चित करता है कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी किए गए अनुदान का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए। विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदान के उपयोग की स्थिति का पता लगाने के लिए समय-समय पर उपयोग प्रमाण-पत्र संबंधी स्थिति की समीक्षा की जा रही है और लक्ष्य यह है कि उपयोग प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने की

संख्या शून्य रहें और अनुदानग्राही संस्थाओं के पास न्यूनतम शेष राशि रहे। अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक की अवधि के दौरान 684.86 करोड़ रूपए की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि ये प्रयास भविष्य में भी जारी रहने चाहिएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और उपयोग प्रमाण पत्रों को लंबित होने के धीरे-धीरे बढ़ने की स्थिति से सख्त रूप से बचा जा सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रों के लंबित होने की संख्या को शून्य करने और कार्यान्वयन एजेंसियों/निकायों के पास न्यनूतम अप्रयुक्त शेष राशि के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

समिति की सम्मानित टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

यूसी में शून्य लम्बित रहने और कार्यान्वयन संगठनों/ अनुदान ग्राही निकायों के पास न्यूनतम अव्ययित शेष राशि की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सचिव,एमईआईटीवाई और वित्तीय सलाहकार समय-समय पर समूह समन्वयकों/कार्यक्रम प्रभागों के साथ समीक्षा बैठकें करते हैं ताकि यूसी आदि जमा करने की प्रगति पर नजर रखी जा सके।

यह भी सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यान्वित की जा रही निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसार 1 अप्रैल, 2022 से (जैसा कि अनुशंसा संख्या 1 के उत्तर में उल्लेख किया गया है), यदि कोई अव्ययित शेष, कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध है का मॉडल I के तहत अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसे मॉडल II के तहत सीएनए द्वारा सीएफआई को वापस कर दिया जाएगा।

<u>आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 3)

समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान ब.अ. स्तर पर निर्धारित 1615.43 करोड़ रूपए के आईईबीआर के लक्ष्य के स्थान पर जिसे सं.अ. सतर पर घटाकर 1518.94 करोड़ रूपए कर दिया

गया था, दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 1192.15 करोड़ रूपए अर्थात् सं.अ. के संदर्भ में 78.49 प्रतिशत रहा है। समिति को सूचित किया गया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण वर्ष 2021-22 हेतु ब.अ. से सं.अ. स्तर पर आईईबीआर लक्ष्य को 96.49 करोड़ रूपए तक घटा दिया है। तथापि, स्वायत्त निकाय सं.अ. स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं जैसा कि पिछले वर्षों के मामले में हुआ है। समिति नोट करती है कि 1632.98 करोड़ रूपए का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पिछले वर्ष हेतु ब.अ. स्तर पर निर्धारित लक्ष्य से 17.50 करोड़ रूपए अधिक है। मंत्रालय को आशा है कि आईईबीआर की उपलब्धियां चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक होंगी। समिति ने यह सराहना करते हुए कि स्वायत्त निकाय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं तो वह चाहती है कि वे और अधिक आईईबीआर सृजित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे ताकि वे सरकारी अनुदानों पर अपनी आत्मनिर्भरता कम कर सकें। समिति आशा करती है कि 2022-23 हेतु निर्धारित आईईबीआर लक्ष्यों में जबर्दस्त कमी नहीं की जाए तथा स्वायत्त निकाय चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करें।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक आईईबीआर उपलब्धियां 2030.80 करोड़ रुपये है जो कि बीई (1615.43 करोड़ रुपये) और आरई (1518.94 करोड़ रुपये) के लक्ष्यों से काफी अधिक है। सभी स्वायत्त निकायों को चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया है।

<u>सरकारी त्वरित संदेस सेवा (अब संदेस के रूप में नामित)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 5)

समिति नोट करती है कि सरकारी त्वरित संदेस सेवा (जीआईएमएस) (अब संदेस के रूप में नामित) एनआईसी द्वारा विकसित एक खुला स्रोत, सुरक्षित, क्लाउड सक्षम और स्वदेशी मंच है जिसे सरकार और नागरिकों के बीच त्वरित और सुरक्षित संदेस सेवा के लिए विकसित किया जा

सके। संदेस सिस्टम में ऐप पोर्टल, गेटवे और वेब संस्करण शामिल हैं। समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट पूर्व की सिफारिश का उत्तर देते हुए मंत्रालय ने सूचित किया था कि प्रयोक्ताओं को निशुल्क और सुरक्षित संदेस भेजने के लिए विभिन्न ई-जीओवी आवेदनों को संदेस के साथ एकीकृत किया जा रहा है। यह पहले से ही एनआईसी ईमेल, डिजिलॉकर और ई-ऑफिस के साथ पंजीकृत है और संदेस के साथ एकीकृत कुछ ई- जीओवी एप्लीकेशन ई-कोर्ट, परिचय, बीएचयूआईएएन (छत्तीसगढ़ भूलेख), जीवन प्रमाण आदि हैं। हालांकि, समिति नोट करती है कि भले ही सेवा को पूरी तरह से प्रारंभ कर दिया गया है, मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने वाले अधिक उपयोगकर्ता नहीं हैं। समिति को यह जानकर भी आश्चर्य होता है कि जब एनआईसी ने मैसेजिंग के लिए इंस्टेंट ऐप विकसित किया था, तब भी सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों में व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का व्यापक उपयोग किया जाता है और संदेस ऐप के अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंत्रालय ने सूचित किया है कि सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी मुख्य सचिवों और सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को संदेस को आधिकारिक संचार चैनल के रूप में अपनाने के लिए लिखा था।

इस संबंध में, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि सरकार की सभी शाखाओं के भीतर संदेस का उचित प्रचार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पहले से ही संतृप्त इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए उपयोगकर्ताओं की न्यूनतम महत्वपूर्ण संख्या तक पहुंच सके। समिति सभी संबंधितों द्वारा आधिकारिक संचार मंच के रूप में संदेस को अपनाए जाने की तुलना में की गई प्रगति के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रतिक्रिया और फीडबैक से भी अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

एनआईसी ने विभिन्न मंत्रालयों,संगठनों और विभागों से संपर्क किया है और संदेस की प्रस्तुति दी है और प्रदर्शन किया है। सचिव आईटी ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी मुख्य सचिवों और सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को संदेस को आधिकारिक संचार चैनल के रूप में अपनाने के लिए लिखा है। 200 से अधिक संगठनों द्वारा परीक्षण और उपयुक्तता के उद्देश्य के लिए

संदेस का प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट किया गया है। उनसे प्राप्त फीडबैक और सुझावों को सिस्टम में शामिल कर लिया गया है।

ऐप का सुरक्षा ऑडिट सीआईआरए (साइबर सूचना अनुसंधान एजेंसी), डीआरडीओ द्वारा किया जाता है और उन्होंने उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही सीडीएसी द्वारा एथिकल हैकिंग के लिए ऐप का परीक्षण किया गया और सुरक्षित पाया गया। संदेस एप्प को अपर सचिव एमईआईटीवाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य ऐप के रूप में चुना जाता है।

किए गए कुछ संवर्द्धन और सुधार हैं:

1. ऐप में पेश किए गए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित ऑडियो और वीडियो ग्रुप कॉल।

2. यूआई/यूएक्स में सुधार।

3. ऐप में ऑटो-कॉन्टैक्ट सिंकिंग, पुश नोटिफिकेशन, मैसेज लेटेंसी और मैसेज के डिक्रिप्शन में सुधार के साथ और सुधार किया गया है।

4. संशोधित आईटी अधिनियम के अनुसार माध्यस्थ दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए संदेस सुगमता।

5. ग्रेफाना के माध्यम से संदेस प्रोडक्शन एनवायरमेंट की निगरानी।

6. वर्तमान प्रोडक्शन एनवायरमेंट के लिए सेटअप और परीक्षण डीआर।

7. नोडल अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के लिए वैकल्पिक तंत्र की शुरुआत की।

8. पोर्टल पर संवर्धित थोक अभिलेख आयात सुविधा।

9. ग्रुप एडमिन के लिए ग्रुप मैनेज करने के लिए मेंबर मैनेजमेंट मॉड्यूल।

10. संदेस समर्पित बुनियादी ढांचे के लिए 50 सर्वर खरीदे। सर्वरों को भुवनेश्वर डेटा सेंटर में सह-स्थित किया गया है और प्रावधान और परिनियोजन प्रगति पर है।

11. अगले 2 वर्षों के लिए संदेस के रोल आउट, संचालन और रखरखाव के लिए परियोजना प्रस्ताव एमईआईटीवाई को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन (जी2सी और सी2जी) का एकीकरण:

ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन के माध्यम से जी2सी और सी2जी टू वे कम्युनिकेशन के लिए सेवा आधारित मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया गया। अब तक 220 से अधिक ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को संदेस के साथ एकीकृत किया गया है और ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को लक्षित उपयोगकर्ताओं को मुफ्त और सुरक्षित संदेश भेजने में सक्षम बनाने के लिए अधिक एप्लिकेशन को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में संदेस के साथ एकीकृत कुछ ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन ई-काउंसलिंग, स्पैरो, ई-ऑफिस, ई-वेबिल, पीएफएमएस, ई-कोर्ट, जीएसटीप्राइम, ई-संपर्क और ईकल्याणी हैं।

प्रणाली को अपनाना

प्रेजेंटेशन, डेमो और हैंड होल्डिंग देकर विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों तक पहुंचने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में सचिव आईटी ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी मुख्य सचिवों और सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को संदेस को आधिकारिक संचार चैनल के रूप में अपनाने के लिए लिखा है। उपयोगकर्ता आधार 4.5 लाख (मई 2021 में) से बढ़कर 19.3 लाख हो गया है और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगभग 5.2 करोड़ संदेशों का आदान-प्रदान किया है।

हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, दूरसंचार विभाग, राज्यसभा और लोकसभा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीडीएसी, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी और भारतीय रेलवे को प्रस्तुति दी गई थी । सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय - पुडुचेरी, डीडीडीएसआई (पूर्व, उत्तर और मध्य क्षेत्र) सेना, प्रकाशन विभाग (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), भारत के महापंजीयक कार्यालय, त्रिपुरा पुलिस, श्रम और रोजगार मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ने हाल ही में आधिकारिक संचार के लिए संदेस का इस्तेमाल करना शुरू किया है।

<u>पोषण ट्रैकर</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 6)

समिति नोट करती है कि एमईआईटीवाई ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय में पोषण ट्रैकर नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य शिशुओं, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और युवा माताओं को पोषण प्रदान करने के लिए बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति और शारीरिक विकास की प्रगति की निगरानी करने के लिए देश भर में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लक्षित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सात प्रकार के लाभार्थियों अर्थात् 06 महीने तक के बच्चों, 6 महीने से 3 साल तक, 3 साल से 6 साल तक, किशोर लड़की, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं की निगरानी करने में सक्षम हैं। ऐप 22 भाषाओं में उपलब्ध है। समिति नोट करती है कि इसे आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और यह एक राष्ट्रीयकृत प्रणाली है। यह भी बताया गया है कि पोषण ट्रैकर में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि देश के दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में पोषण ट्रैकर की पहुंच बढ़ाई जा सकती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके। समिति चाहती है कि उन्हें मंत्रालय की इस पहल के संबंध में लक्ष्यों और जमीनी स्तर पर विकास/प्रभाव के बारे में सूचित किया जाए।

सरकार का उत्तर

पहले परियोजना एनआईसी पोषण टीम के पास थी। फिर इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) में स्थानांतरित कर दिया गया। पोषण ट्रैकर 1 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था । 31 जुलाई,2022 तक की स्थिति के अनुसार नवीनतम अपडेट इस प्रकार है: -

पात्र लाभार्थी	10,63,00,296
गर्भवती महिलाएं	93,57,756
स्तनपान कराने वाली माताएं	49,71,938
बच्चे (0-6 महीने)	40,96,668

बच्चे (6 महीने - 3 साल)	4,05,63,578
बच्चे (3 - 6 वर्ष)	4,01,03,459
किशोर लड़कियां	72,06,897

पोषण ट्रैकर को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है। कुल आधार सत्यापित लाभार्थियों की संख्या 5,61,15,074 यानि 50% से अधिक तक पहुंच गई है। पंजीकृत कुल आंगनवाड़ी केंद्र 13,95,948 हैं और पोषण ट्रैकर का उपयोग करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 13,82,358 हैं।

पोषण ट्रैकर की कुछ कार्यक्षमताएं जैसे दैनिक ट्रैकिंग,लाभार्थी निर्माण और घर के दौरे का व्यू ऑफ़लाइन मोड में पहले ही सक्षम कर दिया गया है। हालाँकि**, स्वास्थ्य ट्रैकिंग और पूरक पोषण जैसी कुछ और सुविधाएँ हैं जिन्हें ऑफ़लाइन मोड में विकसित किया जाना है।**

<u>विनियामक निकाय</u>

<u>साइबर सिक्योरिटी (सर्ट-इन),एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 7)

समिति नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम सर्ट-इन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 ख के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए पदनामित किया गया है। सर्ट-इन नवीनतम साइबर खतरो, कमजोरियों और कंप्यूटर और नेटवर्क को बचाने के लिए प्रतिक्रियात्मक उपायों के संबंध चेतावनी और सलाह जारी करता है। जहाँ तक शीर्ष के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग का संबंध है वर्ष 2022 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर 216 करोड रुपए की राशि आबंटित की गई है जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 213 करोड रुपए कर दिया गया और जनवरी 2022 तक वास्तविक उपयोग केवल 98.31 करोड रुपए रहा। वर्ष 2022 -23 के लिए पूंजीगत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना मदों की खरीद के साथ-साथ स्थापना लागत के लिए प्रस्तावित 263 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान स्तर पर 215 करोड रुपए की राशि पर आबंटित की गई है। समिति को सूचित

किया गया है कि सर्ट-इन गतिविधियों के लिए पूंजीगत उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी और आरई चरण के दौरान इसकी मांग की जाएगी। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि सर्ट-इन को घटनाओं और साइबर सुरक्षा मुद्दों में तेजी से वृद्धि, ऑनसाइट प्रतिक्रिया सहित घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों की तत्काल प्रकृति, प्रमुख वर्तमान और योजनाबद्ध नई गतिविधियों/परियोजनाओं को बनाए रखने और उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों से संबंधित साइबर सुरक्षा मुद्दों का समाधान करने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की तत्काल आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सर्ट -इन ने विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव पेश किया है।

समिति यह भी महसूस करती है कि सर्ट-इन का दायरा और गतिविधियां हाल ही में कई गुना बढ़ी हैं और साइबर प्लेटफार्मों पर साइबर अपराध, साइबर चोरी और अन्य शरारती गतिविधियों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि से निपटने के लिए इसे अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए मंत्रालय के तत्वाधान में सर्ट-इन द्वारा चल रही गतिविधियों/परियोजनाओं के साथ-साथ भविष्य की गतिविधियों/परियोजनाओं को मानव संसाधन की कमी के कारण नुकसान न हो। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सर्ट-इन की अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता के मुद्दे कोउचित महत्व देते हुए इस पर विचार किया जाए और .पदों के अतिरिक्त सृजन के लिए सर्ट-इन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाए और इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए। सर्ट-इन के लिए पूंजीगत उपस्करों की आवश्यकता के संबंध में समिति को आशा है कि मंत्रालय आरई स्तर पर अतिरिक्त निधियों के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह करेगा। दोनों मामलों पर आगे की प्रगति की सूचना समिति को दी जाए।

सरकार का उत्तर

सीईआरटीइन का दायरा और गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं और साइबर प्लेटफॉर्म पर साइबर - घटनाओं, साइबर चोरी और अन्य शरारती गतिविधियों में तेजी से वृद्धि से निपटने के लिए सीईआरटीइन - में मानव संसाधन को बढ़ानेकी आवश्यकता को मंत्रालय में मान्यता दी गई है। इस संबंध में सीईआरटी- स्तुत किया गया इन द्वारा विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव एमईआईटीवाई को प्र था।

सर्ट-इन के प्रस्ताव पर मंत्रालय और सर्ट-इन के बीच चर्चा हुई है और मौजूदा कार्यभार को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानव संसाधन, नई गतिविधियों/परियोजनाओं के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों से संबंधित साइबर सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया है।चर्चाओं और विचार-विमर्शों के आधार पर सर्ट-इन के प्रस्ताव को अद्यतन किया जा रहा है ताकि सर्ट-इन द्वारा निपटाए जा रहे मामलों की महत्वपूर्ण प्रकृति और देश में एक सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित करके तर्क के साथ समर्थित एक व्यापक औचित्य शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, सर्ट-इन की एनसीसीसी परियोजना के लिए 59 पदों के सृजन का प्रस्ताव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष एमईआईटीवाई के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय ने एमईआईटीवाई से एमईआईटीवाई के सभी संगठनों में जनशक्ति के बारे में विवरण मांगा है, जिसे एकत्रित किया जा रहा है और प्रस्तुत किया जाएगा।

निधि के सदुपयोग के संबंध में वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान के स्तर पर 213 करोड़ रुपये की राशि को अंतिम रूप दिया गया,जिसमें से दिनांक 31 मार्च 2022 तक 193.70 करोड़ रु.का उपयोग किया गया है।

<u>राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 8)

समिति नोट करती है कि सर्ट-इन मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में स्थितिजन्य आवश्यक जागरूकता पैदा करने और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए समय पर जानकारी साझा करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र)एनसीसीसी (की स्थापना भी कर रहा है। एनसीसीसी के पहले चरण को जुलाई 2017 में प्रचालित किया गया है। अपेक्षित निधियों और मानव संसाधन की अपेक्षित उपलब्धता के साथ 2022 के अंत तक पूर्ण पैमाने पर एनसीसीसी के चालू होने की परिकल्पना की गई है। एनसीसीसी परियोजना को वित्त वर्ष 2021-22 से सर्ट-इन की नियमित गतिविधियों के साथ विलय कर दिया गया है। एनसीसीसी स्थापना घटक की बजट आवश्यकता को भी वित्त वर्ष 2021-22 से सर्ट-इन के नियमित बजट के साथ विलय कर दिया गया है। समिति यह भी

नोट करती है कि साइबर सुरक्षा)एनसीसीसी और अन्य (के लिए, निधियों के प्रावधान को वर्ष 2021-22 के लिए बीई चरण में 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आरई चरण में 339 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर बीई वर्ष 2022-23 के लिए, बीई स्तर पर 300 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है, जबकि 2021-22 में 200 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। समिति नोट करती है कि सर्ट-इन वर्तमान में परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य कर रहा है और एनसीसीसी फेज-II चरण 2 शुरू किया है।

समिति बहुत दृढ़ता से महसूस करती है कि साइबर घटनाओं और साइबर सुरक्षा उल्लंघनों में भारी वृद्धि हुई है और यह आवश्यक है कि साइबर स्पेस पर आसन्न खतरों से निपटने के लिए देश की क्षमताओं और लचीलेपन को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाए। साइबर सुरक्षा को मंत्रालय की कार्य सूची/प्राथमिकता मदों में सबसे आगे रहना होगा और जहां तक साइबर जगत का संबंध है, सुरक्षित इकोसिस्टम सुनिश्चित करने में धन की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वास्तव में समिति का महसूस करती है कि मंत्रालय को विशेष रूप से इस क्षेत्र में नई चुनौतियों के मद्देनजर अधिक सुरक्षित साइबरवर्ल्ड प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहिए। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि साइबर सुरक्षा के लिए निधियों को वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है ताकि निधियों की भारी कमी के कारण इस क्षेत्र में किसी भी विफलता को रोका जा सके। समिति मंत्रालय को पूर्ण एनसीसीसी की शीघ्र स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की भी सिफारिश करती है ताकि देश साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करने के लिए अवसंरचना और आवश्यक साधनों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हो सके और समय पर हस्तक्षेप कर सके। एनसीसीसी को साइबर स्पेस को सुरक्षित करने में चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता के साथ पर्याप्त संसाधन और मानव संसाधन का भी प्रदान की जाए।

सरकार का उत्तर

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में साइबर सुरक्षा (एनसीसीसी और अन्य) बजट शीर्ष के तहत आबंटित 300 करोड़ रुपये में से 260 करोड़ रुपये एनसीसीसी के लिए निर्धारित है। पूंजीगत

उपकरणों की खरीद के लिए गतिविधियां उन्नत चरण में हैं और पूर्ण एनसीसीसी की स्थापना को वर्ष 2022 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। एनसीसीसी के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता है और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में 59 पदों (एस एंड टी और गैर-एस एंड टी) की मंजूरी का प्रस्ताव विचाराधीन है। वित्त मंत्रालय ने एमईआईटीवाई से एमईआईटीवाई के सभी संगठनों में जनशक्ति के बारे में विवरण मांगा है, जिसे एकत्रित किया जा रहा है और प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम</u>

<u>इलेक्ट्रोनिक शासन बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) सहित इलेक्ट्रॉनिक शासन</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 9)

समिति ने नोट किया कि ई-गवर्नेंस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक उप-योजना है जिसमें डिजिटल अवसंरचना के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं जैसे कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क)स्वान(, नेशनल डेटा)एनडीसी (और स्टेट डेटा सेंटर्स)एसडीसी(, मेघराज-भारत सरकार क्लाउड पहल, भारत सरकार का ई-मेल समाधान, प्रगति वीसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे माईजीओवी, डिजिटल लॉकर ई-साइन, ई-अस्पताल, राष्ट्रीय डेटा राजमार्ग, उमंग, एनसीओजी, ओपन गवर्नमेंट डेटा, ई-ताल, रैपिड असेसमेंट सिस्टम)आरएएस(, सीएससी, वेब, कियोस्क और मोबाइल प्लेटफॉर्म, डिजिटल विलेज और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करना। और प्रत्येक परियोजना अपनी आरम्भ तिथि और पूरा करने की समय सीमा होती है। 2021-22 के दौरान, बीई चरण में 425 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसे आरई चरण में बढ़ाकर 535 करोड़ रुपये कर दिया गया था और जनवरी, 2022 तक वास्तविक उपयोग केवल 192.08 करोड़ रुपये रहा है। समिति नोट करती है कि कुछ नई परियोजनाओं जैसे माईजीओवी द्वारा इन्सेप, भारत सरकार के लिए सुरक्षित ई-मेल सेवाएं, ओपन गवर्नमेंट डेटा)ओजीडी 2.0), एनआईसी नेशनल क्लाउड सर्विसेज में वृद्धि आदि की शुरुआत के कारण फंड की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। समिति यह भी नोट करती है कि बीई 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के लिए 525.0 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। यह भी

सूचित किया गया है कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण केवल अत्यावश्यक नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और लंबित यूसी की स्थिति और उनके पास अव्ययित शेष को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ई-सेवाओं की कुशल सुपुर्दगी के लिए डिजिटल अवसंरचना प्रदान करने के लिए कई मिशन मोड परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, ई-गवर्नेंस के तहत निधि के उपयोग में कमी चिंता का विषय है। समिति मंत्रालय को इस योजना के तहत सामने आ रही चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि 2022-23 के लिए आबंटित धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 535 करोड़ रुपये के आबंटित बजट की तुलना में 316.78 करोड़ का उपयोग किया गया है। इसके अलावा यह नोट किया जाए कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 20 जुलाई, 2022 तक की स्थिति के अनुसार 293.22 करोड़ रुपये की राशि का इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के तहत 525.00 करोड़ रुपये के आबंटित बजट की तुलना में पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

(सिफारिश क्रम संख्या 10)

समिति नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिन प्राथमिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टिविटी हैं। इन चुनौतियों के अलावा, डिजिटल डिवाइड गैप को इस तथ्य के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि कमजोर वर्गों से संबंधित कई नागरिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी-दिशा) को देश में सभी 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ने के उद्देश्य से छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता शुरू करने के लिए कार्यान्वित किया गया है और भारतनेट परियोजना लागू की गई है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ई-सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल अवसंरचना प्रदान करने हेतु ई-गवर्नेंस के तहत विभिन्न

परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। योजना का सफल कार्यान्वयन डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। समिति पीएमजी-दिशा के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को देखते हुए, मंत्रालय से देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए त्वरित रूप से सभी कदम उठाने का आग्रह करती है। पीएमजी-दिशा जैसी डिजिटल साक्षरता योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर, समिति को आशा है कि पर्याप्त संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किया गया होगा। तथापि, यह देखा जाना शेष है कि यह कार्यक्रम देश में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने में कितना सफल रहा है। इसके प्रभावों का आकलन करने के लिए किसी भी पैरामीटर के अभाव में, कार्यक्रम के लाभों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना कठिन है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स शासन की सफलता देश में डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और विभिन्न संस्थाओं को शामिल करने के निरंतर प्रयास करने चाहिए।

सरकार का उत्तर

पीएमजीदिशा योजना के संबंध में सिफारिश को नोट किया गया है। पीएमजीदिशा योजना की प्रगति के संबंध में कहा गया है कि उपर्युक्त योजना के तहत दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 5.80 करोड़ उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है। लगभग 4.91 करोड़ उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें से 3.64 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को विधिवत अधिकृत तृतीय पक्ष मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

योजना के प्रभावों और लाभों के आकलन के संदर्भ में, यह इंगित किया गया है कि योजना के दिशा-निर्देश यह निर्धारित करते हैं कि योजना का प्रभाव आकलन अध्ययन एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चयनित उपयुक्त संस्थानों/संगठनों द्वारा आयोजित किया जाना है ताकि अध्ययन को अंजाम दिया जा सके। इसे देखते हुए, इस योजना का मूल्यांकन अब तक तीन एजेंसियों नामतः आईआईटी दिल्ली, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया है।

पीएमजीदिशा योजना का अंतिम प्रभाव आकलन अध्ययन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा आयोजित किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- पीएमजीदिशा अपने बड़े पैमाने पर और दूरस्थ रूप से संरक्षित परीक्षा के उपयोग के कारण एक अनूठी योजना है।
- एससीएसपी में उपयोग किए गए 18% फंड, टीएसपी के लिए 12% और एनईआर के लिए 11% ने कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया है।
- महिलाओं की भागीदारी बहुत व्यापक स्तर पर है और ग्रामीण स्तर पर उनका समावेश पूरे परिवार के लिए सीखने का मार्ग खोलेगा।
- 55% से अधिक उत्तरदाताओं ने पीएमजीदिशा प्रशिक्षण के बाद अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष लाभ का हवाला दिया।
- लगभग 50% उत्तरदाताओं ने कहा कि पीएमजीदिशा ने उन्हें एक बेहतर नौकरी पाने में मदद की।
- 40% से अधिक उत्तरदाताओं ने 1-5 लोगों को सशक्त बनाया, 22.8% लोग 6-10 लोगों की मदद करने में सक्षम थे, 12.9% पीएमजीदिशा के ज्ञान के साथ 10-20 लोगों की मदद करने में सक्षम थे।
- पीएमजीदिशा प्रशिक्षण का आईसीटी और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों के उपयोग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।
- पीएमजीदिशा ने कई उद्देश्यों के लिए सूचना बिंदुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाकर लाभार्थियों की सेवा की है। इसने देश में समग्र डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद की है।
- कोविड 19 ने ग्रामीण भारत में भी अनिश्चितता की अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। पूर्ण लॉकडाउन के समय में भी डिजिटल पहल ने बहुत कुछ काम किया है। ऑनलाइन प्रक्रियाओं की उपलब्धता के कारण बैंकिंग प्रणाली से, ई-गवर्नेंस सिस्टम और पीडीएस को

अत्यधिक सहायता मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अपनी आजीविका को डिजिटल सिस्टम की मदद से जारी रखा है, जिससे उनकी उपज की खरीद, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके अन्य चीजों के बारे में जानकारी एकत्र करने में मदद मिलती है। नए परिवेश में ऐसे प्रतिमान परिवर्तन के समय में पीएमजीदिशा जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता एक आवश्यकता बन गई है। डिजिटल उपकरणों और आईसीटी को समझना और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना समय की आवश्यकता है और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का समर्थन करने में मौजूदा संकट के लिए तारणहार साबित हुआ है।

इसके अलावा यह कहा गया है कि यह योजना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी पहचान की गई कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है।

उद्योग, गैर सरकारी संगठनों और अन्य द्वारा देश में डिजिटल साक्षरता के प्रसार के इसी तरह के प्रयासों को योजना के तहत एकीकृत किया गया है और इस संबंध में आवश्यक समन्वय सीएससी-एसपीवी द्वारा किया जाता है। सीएससी-एसपीवी इस संबंध में विभिन्न भागीदारों का समन्वय करता है और आवश्यक अभिसरण करता है। ऐसे भागीदारों, उद्योग, गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियों द्वारा डिजिटल साक्षरता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों के लिए, इन एजेंसियों द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

<u>ई-गवर्नेंस-डिजिलॉकर</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 11)

समिति नोट करती है कि डिजिटल लॉकर निवासियों को दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण, सत्यापन के लिए एक वैयक्तिक स्थान के रूप में एक समर्पित क्लाउड आधारित मंच प्रदान करता है। समिति नोट करती है कि 9.22 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए हैं और विभाग द्वारा जारी किए गए 486 करोड़ दस्तावेज डिजिटल लॉकर में उपलब्ध हैं। समिति 'डिजिलॉकर' के संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि डिजिलॉकर अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है जो लोगों को कागजी रिकॉर्ड ले जाने या देखने या मुद्रित प्रमाण पत्र देखने की आवश्यकता को दूर करने और काम करने के डिजिटल तरीके से पूरी तरह से स्विच करने में सक्षम बनाता है, समिति ने यह भी पाया कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए 'गोपनीयता' एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। समिति यह भी नोट करती है कि यह भौतिक कार्ड रखने के बजाय डिजिटल पहचान के रूप में आधार की तर्ज पर सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। समिति को यह बताया गया है कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने अनुदेश जारी किए हैं और डिजिलॉकर का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। डिजिलॉकर देश में ई-हेल्थ लॉकर की स्थापना की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत कई लाभों को नोट करते हुए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा 'डिजिलॉकर' का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति मंत्रालय को डिजिटल लॉकर को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास करने की भी सिफारिश करती है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जा सके। समिति मंत्रालय को डिजिटल लॉकर के मुद्रीकरण पर विचार करने की भी सिफारिश करती है ताकि राजस्व सृजित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

निजता के संबंध में: उपयोगकर्ता के दस्तावेज़ों को किसी भी विभाग/संगठन के साथ साझा करने के लिए डिजिलॉकर में दस्तावेज़ों का एक्सेस तंत्र उपयोगकर्ता द्वारा उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और

प्राधिकरण के सिद्धांत का पालन करता है। केवल उपयोगकर्ता की सहमति पर कोई भी डेटा साझा किया जाता है। यह उपयोगकर्ता के डेटा/दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

सुरक्षा के संबंध में: डिजिलॉकर मानक सुरक्षा प्रथाओं का पालन करता है और इसका नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट होता है। इसके अलावा डिजिलॉकर में किसी भी गतिविधि के दौरान प्रेषित जानकारी के लिए सुरक्षा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आधारित साइन-अप और साइन-इन, टाइम लॉग आउट, आईएसओ 27001 सुरक्षा प्रमाणित डेटा सेंटर पर डिजिलॉकर सिस्टम की होस्ट, X.509 आरएसए 2048 बिट्स सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) एन्क्रिप्शन जैसे चरणों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

उपयोगकर्ता आधार में वृद्धि के संबंध में: एमईआईटीवाई ने डिजिलॉकर से डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए नियामक/ नीति स्तर में बदलाव लाने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप किए हैं। इनमें से कुछ आररबीआई,एसईबीआई,बीसीएएस,रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एमओआरटीएच द्वारा डिजिलॉकर की स्वीकृति हैं। कुछ प्रमुख परिवर्तनकारी निर्णय जो डिजिटल दस्तावेजों की खपत में वृद्धि को बढ़ावा देंगे,वे निम्नानुसार हैं: डीएआरपीजी ने नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी मंत्रालयों/सांविधिक निकायों/पीएसयू को डिजिलॉकर अपनाने के लिए अधिसूचित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि डिजिलॉकर राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के लिए एकमात्र भंडार होगा। डीबीटी मिशन ने अपनी सभी योजनाओं के लिए डिजिलॉकर सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी अधिसूचित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में 12 करोड़ उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया गया है और विभाग द्वारा जारी किए गए 560 करोड़ दस्तावेज डिजिटल लॉकर के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉकर को लोकप्रिय बनाने और इसके उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित की योजना बनाई जा रही है: कुछ विभाग जैसे एमओडी,एमओएच,ईपीएफओ,आईटीआर,आरजीआई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एनआरईजीए जॉब कार्ड, एसएआई, एनजीडीआरएस, ई-श्रम कार्ड, राज्य विश्वविद्यालयों आदि डिजिलॉकर पर अपनी सेवाओं को लाने के लिए से संपर्क में है। वर्तमान में डिजिलॉकर देश में ई-हेल्थ लॉकर स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय डेटा केंद्र नीति और हाइपर स्केल डेटा केंद्र योजनाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में: हितधारक परामर्श के दौरान प्राप्त इनपुट के आधार पर राष्ट्रीय डेटा केंद्र और क्लाउड नीति और

डेटा केंद्र योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित नीति और योजना एमईआईटीवाई में अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन है।

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 7 देखें)

<u>जनशक्ति विकास योजना</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 12**)**

समिति नोट करती है कि जनशक्ति विकास योजना के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकलापों का लक्ष्य रखा गया है। इलैक्ट्रॉनिकी और आईसीटी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है और वे कार्यान्वयनाधीन है। समिति को बताया गया है कि 2021-22 के दौरान, लक्षित 3 लाख अभ्यर्थियों में से, अब तक 2.50 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और उन्होंने इसका उपयोग किया है। वर्ष 2022-23 के लिए 3.30 लाख अभ्यर्थियों को कौशल विकास प्रदान करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। निधियों के उपयोग के संबंध में, समिति नोट करती है कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2021-22 में 400 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी और 31.01.2022 तक वास्तविक उपयोग केवल 85.15 करोड़ रुपये अर्थात संशोधित अनुमान का 21 प्रतिशत रहा है। 2022-23 के दौरान, 450 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले बजट अनुमान में 350 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। समिति यह भी नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) ने संयुक्त रूप से "फ्यूचर स्किल्स प्राइम" (रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति के पुन: कौशल/अप-स्किलिंग इकोसिस्टम हेतु कार्यक्रम)" नामक एक नई पहल की है, जिसका उद्देश्य सतत कौशल के साथ-साथ अपनी गति के कौशल वातावरण में पेशेवरों के ज्ञान में वृद्धि करने हेतु उनकी आकांक्षाओं और योग्यता के अनुरूप वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऐडिटिव विनिर्माण/3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल, साइबर सुरक्षा और ब्लॉक

श्रृंखला आदि जैसी 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में बी2सी के लिए "री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग इको सिस्टम" सृजित करना है। उल्लिखित 4.12 लाख लाभार्थियों में से, 108436 अभ्यर्थियों ने अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

समिति नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा जनशक्ति विकास योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, समिति यह बात नोट कर चिंतित है कि 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत जनवरी, 2022 तक उपयोग की स्थिति अत्यंत कम अर्थात संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटित राशि का केवल 21 प्रतिशत रहा है। निश्चित रूप से निधि के उपयोग की इस गति के साथ, मानव संसाधन विकास में मील का पत्थर हासिल करना एक दूर का सपना लगता है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय 2022-23 के दौरान निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करे और 3.30 लाख अभ्यर्थियों के कौशल विकास के लक्ष्य को प्राप्त करे। "फ्यूचर स्किल्स प्राइम" के संबंध में, समिति का मत है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की तेजी से विकसित प्रकृति के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी में कार्यबल का पुन: कौशल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समिति महसूस करती है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में सुप्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन होनी चाहिए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय कौशल विकास के क्षेत्र में, विशेष रूप से नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में नैसकॉम के साथ सहयोग बढ़ाएगा। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

स्थायी समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। इस संबंध में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 3.00 लाख के कौशल विकास के लक्ष्य की तुलना में 4.00 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। जनशक्ति विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 273.65 करोड़ रु. का उपयोग किया गया था। जैसा कि सुझाव दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निधि का इष्टतम उपयोग करके 3.30 लाख उम्मीदवारों के कौशल विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा यह कहा गया है कि फ्यूचर स्किल प्राइम प्लेटफॉर्म के तहत अब तक 7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने साइन-अप किया है। कुल 3.46 लाख उम्मीदवारों को अलाइनड और नॉनअलाइनड पाठ्यक्रमों में नामांकित किया गया है, जिनमें से 1.21 लाख उम्मीदवारों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। इस पहल के तहत 10 उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए हब और स्पोक मोड में ब्लेंडेड-लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संस्थागत बनाने के लिए सीडीएसी और नाइलिट के 40 केंद्रों के साथ संसाधन केंद्र (लीड/को-लीड सेंटर) के रूप में एक मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम भी बनाया गया है। इन केंद्रों ने अब तक 524 प्रशिक्षकों और 4,292 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

नैसकॉम के साथ सहयोग के सुझाव के संबंध में यह कहा गया है कि नैसकॉम सक्रिय रूप से फ्यूचर स्किल प्राइम पहल के तहत जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास प्रभाग एमईआईटीवाई ने सभी परियोजना समीक्षा और संचालन समूहों के सदस्य के रूप में सभी कौशल विकास परियोजनाओं /योजनाओं में नैसकॉम को संबद्ध किया है।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना</u>

<u>बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 14**)**

समिति ने नोट किया कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के लिए 2022-23 के लिए 4056 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। दो उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और क्रमश: मोबाइल फोन और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 में) पर 6% से 3% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत कवर किया जाएगा। समिति ने नोट किया कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (मोबाइल

फोन और घटक) के लिए पीएलआई योजना वैश्विक और घरेलू मोबाइल विनिर्माण कंपनियों से प्राप्त अत्यधिक रुचि के संदर्भ में एक बड़ी सफलता रही है। अगले 5 वर्षों में, इस योजना से लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपये के कुल उत्पादन की उम्मीद है। इस योजना से निर्यात में भी काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। कुल उत्पादन में से, 60% से अधिक का योगदान 6.5 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर के निर्यात द्वारा होने की उम्मीद है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश लाएगी। पीएलआई योजना भारतीय ब्रांडों को पुनर्जीवित करके और भारतीय ईएमएस कंपनियों को मजबूत करके घरेलू चैंपियन कंपनियों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

समिति यह भी नोट करती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पादों सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों में 24.02.2021 को आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। समिति को सूचित किया गया है कि आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 14 कंपनियों को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 में) पर 4% से 2% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और चार साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी के लक्षित खंडों के तहत कवर किया जाएगा। अगले 4 वर्षों में, इस योजना के तहत अनुमोदित 14 कंपनियों से लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये के कुल उत्पादन की उम्मीद है। अगले 4 वर्षों में 1,60,000 करोड़ रुपए के कुल उत्पादन में से, 37% से अधिक 60,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर के निर्यात से आने की उम्मीद है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत 36,066 अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियों और चार गुना अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की उम्मीद है।

समिति नोट करती है कि मंत्रालय घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल और आईटी हार्डवेयर के विशिष्ट घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए पीएलआई स्कीमों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें कर रहा है, लेकिन ये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में उतना प्रभावी नहीं हैं क्योंकि देश अभी भी दूरसंचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स का शुद्ध आयातक बना हुआ है। समिति ने नोट किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स

विनिर्माण, डिजिटल इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देकर विनिर्माण क्षेत्र को के प्रचार द्वारा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। घरेलू मूल्य वर्धन के अलावा, यह सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में योगदान देगा। समिति सिफारिश करती है कि दोनों स्कीमों को सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मांग को घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जा सके और भारत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके। समिति को आशा है कि उपर्युक्त दोनों योजनाएं बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, घटकों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सक्षम करेंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना के निर्माण को सुविधाजनक बनाएगी। समिति सिफारिश करती है कि पीएलआई योजना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाए और दो पीएलआई स्कीमों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की तेजी से जांच की जाए ताकि दीर्घावधि में कोई भी चूककर्ता न हो। समिति को इन योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों से अवगत कराया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने में पीएलआई योजना के पहले दौर की सफलता के बाद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का दूसरा दौर दिनांक 11.03.2021 को शुरू किया गया था। दूसरे दौर के तहत भारत में विनिर्मित और लक्ष्य खंड के तहत कवर किए गए सामानों की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष यानी वित्त वर्ष 2019-20 से अधिक) पर पात्र कंपनियों को चार(4) वर्ष की अवधि के लिए 5% से 3% की प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के दूसरे दौर के तहत 16 कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

दूसरे दौर के कार्यकाल में 16 स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक संघटक विनिर्माताओं से कुल 12,432 करोड़ रुपये तक का उत्पादन होने की उम्मीद है। योजना के दूसरे दौर में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है।

माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री द्वारा दिनांक 28.06.2021 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित पीएलआई योजना के तहत अनुमोदित कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए की गई घोषणा के अनुसार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल एक साल के लिए यानी 2024-25 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को जारी की गई थी। पीएलआई योजना के पहले दौर के तहत स्वीकृत 16 में से 15 कंपनियों ने उपरोक्त विस्तार का विकल्प चुना है।

इसके अलावा मार्च,2022 के अंत तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना 4,000 करोड़ रुपये का निवेश और 1,42,000 करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन लाने में सक्षम है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को 01.04.2020 को अधिसूचित किया गया था और यह कार्यान्वयन के अधीन है। योजना के तहत पहले और दूसरे दौर सहित 32 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 03.03.2021 को अधिसूचित की गई थी और कार्यान्वयन के अधीन है। योजना के तहत 14 कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) को दिनांक 3 मार्च, 2021 को अधिसूचित की गई थी। पीएलआई योजना माल की निवल वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष यानी वित्त वर्ष 2019-20 से अधिक) पर 4% से 2%/1% का प्रोत्साहन देती है। चार साल (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को भारत में विनिर्मित लक्ष्य खंडों के तहत योजना के तहत लक्षित आईटी हार्डवेयर खंडों में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और सर्वर शामिल हैं। योजना के तहत प्रोत्साहन 01.04.2021 से लागू हैं। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत 14 कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

दोनों पीएलआई योजनाओं को एक नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य कर रही है। पीएमए अन्य बातों के साथ-साथ पीएलआई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

(i) आवेदनों का मूल्यांकन और योजना के तहत समर्थन के लिए पात्रता का सत्यापन।

(ii) योजना के तहत प्रोत्साहन के संवितरण के लिए पात्र दावों की जांच।

योजना के तहत कंपनियों के लिए विनिर्मित माल की वृद्धिशील निवेश और वृद्धिशील बिक्री सहित योजना की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में आंकड़ों का संकलन।

<u>सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 15**)**

समिति नोट करती है कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सतत अर्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में लगी कंपनियों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है। इससे सामरिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के तकनीकी नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त होगा। समिति ने नोट किया है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत चार योजनाएं शुरू की गई हैं, अर्थात् भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना की योजना, भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना की योजना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली की स्थापना की योजना, भारत में परीक्षण, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी) /ओएसएटी सुविधाएं और डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना। इन स्कीमों के अतिरिक्त, समिति को सूचित किया गया है कि सरकार ने सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली को ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण का भी अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) की स्थापना के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके पास अर्धचालकों के विकास और प्रदर्शन

विनिर्माण इकोसिस्टम के लिए भारत की कार्यनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में परिकल्पित, आईएसएम योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। समिति को सूचित किया गया है कि भारत की ताकत अर्धचालक डिजाइन में निहित है। भारत उन कंपनियों के लिए डिजाइन कर रहा है जो बाहर से आती हैं लेकिन अपना आईपी डिजाइन नहीं बना रही हैं और अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। समिति ने यह भी ध्यान दिया कि अर्धचालक प्रयोगशाला को अंतरिक्ष विभाग से इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

समिति नोट करती है कि भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण नवजात स्थिति में है और देश को इस क्षेत्र में अभी भी प्रारंभिक प्रयास करने हैं। देश में सेमीकंडक्टर निर्माण की सुविधाओं को तत्काल बढ़ावा देने की जरूरत है। यह चिंता की बात है कि भारत में अभी तक कोई भारतीय कंपनी सेमीकंडक्टर का निर्माण नहीं कर रही है, तथापि सेमीकंडक्टर के डिजाइन करने में देश में क्षमता निहित है। समिति का विचार है जब सेमीकंडक्टर की वैश्विक कमी है, सेमीकंडक्टर को प्रोत्साहित करने और डिजाइन सेक्टर के प्रदर्शन की सरकार की नीति का बहुत महत्व है। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2019 के अनुरूप भी है ताकि भारत को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और सेमीकंडक्टर तथा चिप निर्माण में वैश्विक हब रूप में स्थापित किया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करें ताकि देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन की सुविधा हो। ऑटोमोबाइल आदि जैसे अन्य संबंधित क्षेत्र में सेमीकंडक्टर का महत्व स्पष्ट है और अर्थव्यवस्था की भावी जरूरतों को देखते हुए समिति का मानना है कि इस परियोजना पर मंत्रालय को अति विशेष ध्यान देना चाहिए। समिति योजना के प्रत्येक घटक के तहत हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

<u>भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम की प्रगति</u>

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को और गति दी गई,सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को सेमीकंडक्टर के विकास और हमारे देश में प्रदर्शन विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा।

उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत दिनांक 21.12.2021 को निम्नलिखित चार योजनाओं को अधिसूचित किया गया है:

1. **भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना** सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है:

- 28एनएम या उससे कम - परियोजना लागत का 50% तक
- 28 एनएम से 45 एनएम तक - परियोजना लागत का 40% तक
- 45 एनएम से 65 एनएम तक - परियोजना लागत का 30% तक

योजना का आवेदन पोर्टल दिनांक 15.02.2022 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुला था। फॉक्सकॉन के साथ संयुक्त उद्यम में तीन कंपनियां अर्थात वेदांता; आईजीएसएस उद्यम पीटीई, सिंगापुर; आईएसएमसी एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए योजना के तहत आवेदन जमा किए हैं। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन एवं निर्धारण प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

2. भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना पात्र आवेदकों को डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसका उद्देश्य देश में टीएफटी एलसीडी/एमोलेड आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। यह योजना

प्रति फैब 12,000 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना का आवेदन पोर्टल दिनांक 15.02.2022 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुला था। भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए दो कंपनियों वेदांत और एलेस्ट ने योजना के तहत आवेदन जमा किए हैं। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

3. **भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली**, **टेस्टिंग**, **मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना**: यह भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय के 30% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना का आवेदन पोर्टल शुरू में दिनांक 01.01.2022 से शुरू होकर तीन साल की अवधि के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए खुला है। योजना के तहत आवेदन निरंतर आधार पर प्राप्त और मूल्यांकित किए जाएंगे। इस योजना के तहत अब तक छह कंपनियों ने आईएसएम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

4. डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना वित्तीय प्रोत्साहन**,** विकास के विभिन्न चरणों में डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)**,** चिपसेट**,** सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी)**,** सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के नियोजन की पेशकश करती है। यह योजना पात्र व्यय के 50% तक "उत्पाद डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करती है**,** जो प्रति आवेदन 15 करोड़ की सीमा के अधीन है और 5 वर्षों में निवल बिक्री कारोबार के 6% से 4% तक "परिनियोजना लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करता है**,** जो प्रति आवेदन 30 करोड़ की सीमा एक शर्त के अधीन है।

90 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं**,**जिनमें से 9 कंपनियों ने इस योजना के तहत आवेदन दायर किया है।

सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल): उपरोक्त योजनाओं के अलावा सरकार ने सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)**,** मोहाली के आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। एससीएल को ब्राउनफील्ड फैब सुविधा के आधुनिकीकरण के लिए एक वाणिज्यिक फैब पार्टनर के साथ एससीएल के संयुक्त उद्यम की संभावना तलाशने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया है।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन: एक स्थायी सेमीकंडक्टर विकसित करने और इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को चलाने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक विशेष और स्वतंत्र "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम)" स्थापित किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नेतृत्व सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग के वैश्विक विशेषज्ञ करेंगे। यह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए योजनाओं के कुशल और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। आईएसएम के नेतृत्व पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अर्थात। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रगति पर हैं।

<u>आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास</u>

<u>राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 16**)**

समिति नोट करती है आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास परियोजना का क्रियान्वयन शैक्षणिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में किया जा रहा है। 2021-22 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में 700 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई तथा 31 जनवरी, 2021 तक वास्तविक व्यय केवल 329.79 करोड़ रुपए हुआ जो संशोधित अनुमान में किए गए आबंटन का 47% है। समिति को बताया गया है कोविड-19 महामारी के कारण अधिकांश शैक्षणिक संस्थान अकार्यरत रहे जिसके परिणाम स्वरूप इन संस्थानों को जारी की गई सहायता अनुदान राशि के उपयोग में विलंब हुआ और राशि का कम उपयोग हुआ। वर्ष 2022-23 के लिए 1422.20 करोड़ रुपए की तुलना में 598.12 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। समिति को सूचित किया गया कि अंग्रेजी-हिंदी; अंग्रेजी-मराठी; हिंदी-तेलुगु भाषा युग्म के लिए भारतीय अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, भाषाओं के लिए और कन्नड़ भाषा के लिए ऑप्टिकल कैरक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम हेतु प्रोटोटाइप स्पीच टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए एनएलटीएम हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। इस प्रयास को 22 अनुसूचित भाषाओं तक बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषिणी की भी संकल्पना की गई है और इसके लिए पहल शुरू की जा रही है जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं, विशेषकर सरकार और नीति, विज्ञान और

इंजीनियरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना है। मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किए जाने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी, कार्यान्वयन एजेंसी के उपयोग प्रमाण पत्र और आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी /सीसीबटी योजना सहित सभी योजनाओं के लिए बजट में कटौती के कारण, प्राथमिकता दी गई योजनाएं तदनुसार प्रगति कर रही है। एनएलटीएम के तहत प्रमुख बाधा कृत्रिम बौद्धिकता आधारित अनुवाद मॉडल बनाने के लिए 22 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं हेतु पर्याप्त मात्रा में भाषा डाटासेट होना है। इस संबंध में डाटासेट के लिए क्राउड सोर्सिंग प्रयासों के साथ राज्य भाषा मिशन शुरू करने की योजना है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को अनुमोदित कर दिया गया है और मिशन को क्रियान्वित करने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी प्रस्ताव मंगाए गए हैं तथा परिणाम स्वरूप संस्तुत परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। मिशन को शुरू करने और बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि टीडीआईएल प्रोग्राम के लिए पर्याप्त बजट आबंटित की जाए ताकि लैंग्वेज कंप्यूटिंग टूल्स और ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी को निर्धारित समय सीमा में विकसित किया जा सके। परियोजना की उपयोगिता और इसके अंतिम लक्ष्य को बताते हुए मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि देश के एक कोने में एक अशिक्षित दादी मां देश के दूसरे भाग में पूरी तरह से अलग भाषा में अपने समकक्ष के साथ बात करने में सक्षम होंगी और आशा है कि निकट भविष्य में रियल टाइम में भी ऐसा होगा। समय सीमा के संबंध में समिति को बताया गया है कि मिशन की समय सीमा 7 वर्ष है लेकिन यह अगले दो-तीन वर्षों में पूरी हो सकती है।

समिति नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एनएलटीएम वास्तव में एक अग्रणी पहल है और इस परियोजना के पहले पूर्ण होने से देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के लिए भाषा संबंधी बाधाएं दूर करने में बहुत ही सहायक होगी। समिति मानती है कि सरकार और नीति, विज्ञान और इंजीनियरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में उपलब्ध विषय-वस्तु न केवल आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, साथ ही अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों और विद्वानों के लिए भी होगा। चूंकि विभिन्न विषयों से संबंधित अधिकांश विषय-वस्तु अंग्रेजी में है, इसलिए विभिन्न अन्य लाभों के अतिरिक्त देश में शिक्षा क्रांति लाने के लिए ऐसे ऐप का विकास एक स्वागत योग्य कदम है। मंत्रालय को इस परियोजना को समय पर पूरा

करने के लिए उपाय करने की सिफारिश करते हुए समिति यह भी आग्रह करती है कि पर्याप्त बजट का आबंटन किया जाए ताकि परियोजना को समय बद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि इस एप्लीकेशन को संसद, राज्य विधायी निकायों, सरकारी कार्यालयों आदि जैसे देश में विभिन्न संस्थानों को दी जानी चाहिए। समिति अभी चाहती है कि पूरे विश्व में भारतीय दूतावास को यह एप्लीकेशन दिया जाना चाहिए ताकि देश के नागरिक अपने क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकें। पर्यटन के क्षेत्र में इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इसका पूर्ण का उपयोग किया जा सके।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन मार्च 2022 में तीन साल के मिशन के रूप में शुरू हुआ है, जिसमें भाषा की बाधाओं को पार करने के उद्देश्य से योगदानकर्ताओं, साझेदार संस्थाओं और नागरिकों का एक विविध इकोसिस्टम बनाने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की दृष्टि से डिजिटल सुनिश्चित करना है जिससे आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल समावेश और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के लिए मिशन का उद्देश्य नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद के लिए एक आसान और उत्तरदायी इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना है।

उपरोक्त उद्देश्य के अनुरूप, 4.7.2022 को डिजिटल इंडिया भाषिनी के रूप में मिशन को लॉन्च करने के बाद भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों पर उक्त सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में भाशिनी प्लेटफॉर्म (**https://bhashini.gov.in)** पर लाइव हो गया है । भाषिणी प्लेटफॉर्म वर्तमान में 11 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में विभिन्न उद्देश्यों के लिए 241 कार्यात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल प्रदान करता है,जैसे टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट ट्रांसलेशन,स्पीच-टू-टेक्स्ट रूपांतरण, टेक्स्ट-टू-स्पीच रूपांतरण, लिप्यंतरण और ऑप्टिकल कैरेक्टर मान्यता। उपर्युक्त मॉडल ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के साथ एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी के रूप में उपलब्ध हैं।

एआई मॉडल का विकास और सुधार संबंधित भाषा में भाषण, पाठ आदि के उपलब्ध डेटासेट के आकार और गुणवत्ता से सीधे संबंधित है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले मॉडल के निर्माण के लिए भारतीय भाषा डेटासेट के तेजी से और निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए भाषादान पोर्टल (**https://bhashini.gov.in/bhashadaan**)पर भाषादान पोर्टल के माध्यम से एक साथ एक क्राउडसोर्सिंग पहल भी शुरू की गई है।

एआई मॉडल का उपयोग करते हुए भाषा प्रौद्योगिकी का नियोजन इन मॉडलों का उपयोग करके विभिन्न सेवाओं को सक्षम करने के साथ-साथ विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलन के लिए समाधान तैयार करेगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी मशीन अनुवाद आउटपुट उत्पन्न करेगी जिसके लिए कई उद्देश्यों के लिए मानव उपचार की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए तकनीकी क्षमताओं और कार्यान्वयन क्षमता दोनों को एक इकोसिस्टम के आधार पर विकसित करना होगा। इसलिए, मिशन का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने और नियोजित करने के लिए एक साथ काम करने वाले स्टार्टअप और सरकारी एजेंसियों को शामिल करते हुए एक इकोसिस्टम का निर्माण और बढ़ावा देना है।
चूंकि आईटी समाधान/सेवाएं संबंधित प्रशासनिक विभागों/संगठनों के कहने पर नियोजित की जाती हैं, जो इसे बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन भी देते हैं, नियोजन संबंधित सरकारी विभाग/संगठन के दायरे में आती है। इस तरह की तैनाती को किकस्टार्ट करने और सुविधा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न आईटी समाधान / सेवा प्रदाताओं को उनके सार्वजनिक-सामना करने वाले अनुप्रयोगों/सेवाओं के लिए भारतीय भाषा इंटरफेस बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

<u>डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 17)

समिति नोट करती है कि सभी हितधारकों के साथ सरकार के सम्मिलित प्रयास के परिणाम स्वरूप हाल में डिजिटल पेमेंट में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल संव्यवहार 2071 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 5554 करोड़ रुपए हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में

2.2.2022 तक कुल 6380 करोड़ रुपए के डिजिटल पेमेंट किए गए (डिजीधन डैशबोर्ड के अनुसार)। समिति हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान में पर्याप्त वृद्धि को स्वीकार करते हुए मंत्रालय से सुरक्षित और निरापद डिजिटल पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है ताकि देश की आम जनता के लिए एक सुरक्षित और निरापद वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। अपने 30वें प्रतिवेदन में समिति ने चिंता व्यक्त की थी कि डिजिटल पेमेंट से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एकीकृत अप्रोच का अभाव है और डिजिटल/ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ने से इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि एक केंद्रीकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन के द्वारा एक एकीकृत अप्रोच अपनाया जाए ताकि डिजिटल/ऑनलाइन से संबंधित संव्यवहार के सभी मामलों का निपटान किया जा सकें जो न केवल पेमेंट संबंधित साइबर अपराध के पीड़ितों की सहायता करेगा साथ ही ऐसे मामलों का तीव्र गति से निपटान करने में भी सहायक होगा। समिति ने साइबर अपराध के पीड़ितों को बीमा कवरेज का प्रावधान करने के संबंध में सिफारिश की थी। इस संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया था कि इन पहलुओं पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ जल्दी ही बैठक की जाएगी और डिजिटल पेमेंट पारितंत्र को नागरिकों के लिए और ज्यादा सुरक्षित, निरापद और विश्वसनीय बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र बनाए जाएंगे। समिति चाहती है कि अंतर-मंत्रालयी बैठक के परिणामों से उसे अवगत कराया जाए और यह भी दोहराती है कि मंत्रालय द्वारा ठोस विश्वास निर्माण के उपाय किए जाएं ताकि डिजिटल पेमेंट के सुरक्षित होने के संबंध में आम नागरिकों में विश्वास पैदा किया जा सके।

सरकार का उत्तर

(i) डिजिटल भुगतान महीने दर महीने आधार पर और डिजिटल लेनदेन में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं; यह भी रहा है कि धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। इन धोखाधड़ी को रोकने के लिए एमईआईटीवाई, आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक), एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) और अन्य इकोसिस्टम के प्लेयर सुरक्षित बैंकिंग के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए निवारक उपाय के रूप में मीडिया /सोशल मीडिया अभियानों में अभियान चला रहे हैं।

(ii)ग्राहकों की सुरक्षा हेतु ग्राहकों के लिए आरबीआई ने **ग्राहक की सीमित देयता** पर निर्देश जारी किए हैं, यानी जहां ग्राहक की लापरवाही के कारण नुकसान होता है, उदाहरण भुगतान क्रेडेंशियल साझा किए जाते हैं जब तक बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना नहीं दी जाती है, तब तक

ग्राहक पूरे नुकसान को वहन करेगा। अनधिकृत लेनदेन की सूचना देने के बाद होने वाले किसी भी नुकसान का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा।

iii) इसके अलावा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी का हिस्सा है जिसकी जांच सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधानों के तहत एलईए (कानून प्रवर्तन एजेंसियों) द्वारा की जाती है और यह मामला गृह मंत्रालय से संबंधित है। गृह मंत्रालय के साथ बातचीत के दौरान यह बताया गया है कि पीड़ितों/शिकायतों को साइबर अपराध की शिकायतों को ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय ने **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** लॉन्च किया है जो केवल साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों को पूरा करता है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई शिकायतों का निपटारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है।
राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है ताकि उनकी मेहनत की कमाई को नुकसान से बचाया जा सके। रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई),प्रमुख बैंकों, भुगतान बैंकों, वॉलेट और ऑनलाइन व्यापारियों के सक्रिय समर्थन और सहयोग के साथ काम करता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी साझा करने और लगभग वास्तविक समय में कार्रवाई करने के लिए नए जमाने की तकनीकों का लाभ उठाकर यह सुविधा बैंकों और पुलिस दोनों को सशक्त बनाती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में धोखाधड़ी के पैसे के नुकसान को पैसे के निशान का पीछा करके और इसके आगे के प्रवाह को रोकने से पहले इसे धोखेबाज द्वारा डिजिटल इकोसिस्टम से बाहर निकालने से रोका जा सकता है। हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई मौकों पर ठगी के पैसे को ठगों द्वारा पांच अलग-अलग बैंकों में ले जाने के बाद भी जालसाजों तक पहुंचने से रोका गया है।

iv) साइबर अपराध या बीमा के पीड़ितों को बीमा कवरेज के प्रावधानों के संबंध में यह अद्यतन किया जाना है कि आईआरडीए (बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने **बीमाकर्ताओं के लिए साइबर बीमा के लिए उत्पाद संरचना** पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं को स्टैंड-अलोन विकसित करने में सुविधा प्रदान करना है। साइबर बीमा उत्पाद,विशेष रूप से उभरते साइबर जोखिमों का समाधान करने और नए उत्पादों के साथ साइबर बीमा बाजार के विकास में सुधार करने और अन्य सहित बीमाधारकों के लिए लाभ बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

(v) आगे यह भी निर्देश दिया गया है कि साइबर हमलों की गतिशील प्रकृति और नई चुनौतियों के कारण नए साइबर बीमा उत्पादों की मांग पर विचार करते हुए सामान्य बीमाकर्ता दस्तावेज़ में प्रदान किए गए मॉडल नीति शब्दों और मार्गदर्शन के संदर्भ में टेलर उत्पादों को डिजाइन करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। उपर्यक्त उद्देश्यों को बीमाकर्ताओं द्वारा इस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिए जो बीमाधारकों के लिए उचित और उपयोगी हो।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

(सिफारिश क्रम संख्या 18**)**

समिति नोट करती है कि यूआईडीएआई को 1623.19 करोड़ रुपए के प्रस्तावित राशि की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 1110 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। समिति को यह भी बताया गया है कि विभिन्न यूआईडीएआई सेवाओं के लिए नए प्रबंधित सेवा प्रदाताओं को हायर करने, डाटा सेंटर की प्रौद्योगिकी को नया बनाने, विभिन्न शहरों में नए आधार सेवा केंद्र खोलने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी संख्या में नामांकन को देखते हुए यूआईडीएआई की जरूरतों को पूरा करने में यह आबंटन पर्याप्त नहीं हो सकता। मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्रालय से निधियों के उपयोग के आधार पर उपयुक्त चरण में अतिरिक्त निधि देने का अनुरोध किया जाएगा। समिति को यह बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में आबंटन में लगभग 85% की वृद्धि हुई है। समिति नोट करती है जी यूआईडीएआई के उपकरण लगभग 10-12 वर्ष पुराने हैं जिन्हें बदले जाने की जरूरत है और इस चरण में यूआईडीएआई प्रौद्योगिकी नवीकरण चक्र में है। इसलिए, इस वर्ष और अगले वर्ष भी यूआईडीएआई को अपने सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर का उन्नयन करने तथा अपने सिस्टम के लिए अन्य साइबर संबंधी सुरक्षा एवं अन्य उपाय करने में सक्षम बनाने के लिए उच्चतर आबंटन करके सहायता की जा रही है। समिति नोट करती है कि आधार सृजन और उसका अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है। हाल में आधार विभिन्न सेवाओं, विशेषकर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए एक प्राथमिक अपेक्षा बन गई है। सुशासन, दक्ष, पारदर्शी और सेवाओं के लक्षित परिदान के लिए आधार के महत्व को सरकार द्वारा निरंतर जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में, समिति मंत्रालय से आशा करती है कि वह आने वाले वित्तीय वर्ष में यूआईडीएआई के लिए पर्याप्त बजट सहायता हेतु

वित्त मंत्रालय के साथ मामले उठाएगी ताकि इसकी महत्वपूर्ण सेवाएं और परियोजनाएं प्रभावित ना हो। समिति को यूआईडीएआई में चल रही प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रगति से भी अवगत कराया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

यह सूचित किया जाता है कि यूआईडीएआई को प्रौद्योगिकी रिफ्रेश चक्र से संबंधित व्यय को पूरा करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त/उच्च आबंटन के साथ एमईआईटीवाई यूआईडीएआई का समर्थन कर रहा है। जैसा कि पहले ही समिति ने नोट किया है,यूआईडीएआई का बजट में बीई 2021-22 में प्रावधानों की तुलना में में बीई 2022-23 में 85% की वृद्धि की गई है। । यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यूआईडीएआई को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदान की अनुपूरक मांगों के माध्यम से 964.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई थी ताकि आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी फ्रेश चक्र से संबंधित व्यय को पूरा किया जा सके। इसके अलावा यूआईडीएआई के संबंध में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता, यदि कोई हो, को उचित स्तर पर वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

अध्याय-तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय-चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

<u>राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनाईसी)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 4)

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 720+ जिलों के सभी स्तरों पर सरकार को आईसीटी सहायता प्रदान करता है। एनआईसीनेट, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में सरकारी कार्यालयों के 1000 से अधिक लैन और 8000 से अधिक स्थानों पर 5 लाख से अधिक नोड्स शामिल हैं। एनआईसी के डाटा सेंटर सुरक्षित वातावरण में सरकार की 8000 से अधिक वेबसाइटों की मेजबानी करते हैं। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि एनआईसी का मुख्य ध्यान नवीनतम अत्याधुनिक आईसीटी अवसंरचना प्रदान करने पर है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को ई-गवर्नेंस सहायता, अत्याधुनिक समाधान प्रदान करता है। एनआईसी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सहयोग से डिजिटल प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम स्तर तक प्राप्ति एक वास्तविकता बन जाती है। एनआईसी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्रमिक रूप से अपने बुनियादी ढांचे का उन्नयन कर रहा है। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने एनआईसी के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया था, जिसमें से बीई स्तर पर 1450 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने सूचित किया है कि 2022-23 के दौरान एनआईसी के लिए निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि मुख्यरूप से पूंजीगत बजट के अंतर्गत निधि की आवश्यकता को कम किया गया जिसके कारण निधियों की उपलब्धता के आधार पर जिलों में आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन चरणबद्ध तरीके से करना पड़ा। समिति नोट

करती है कि एनआईसी ई-गवर्नेंस कार्यक्रम और डिजिटल आईसीटी अनुप्रयोगों में एक सक्रिय उत्प्रेरक और सुविधाप्रदाता रहा है। जहां तक सरकार की आईसीटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का संबंध है, यह जिलों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संगठन को लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जनशक्ति, बुनियादी अवसंरचना और जिला केन्द्रों के उन्नयन के लिए निधियों की कमी में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने मिशन को जारी रखने के लिए, एनआईसी को निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

ऐसे कठिन समय के दौरान निर्बाध निर्बाध सेवाएं प्रदान करने वाले डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एनआईसी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, विशेषरूप से अवसंरचना संबंधी चिंताएं ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक सुपुर्दगी प्रदान करने की उनकी क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके। समिति यह जानकर निराश है कि एनआईसी की मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता और अवसंरचना संबंधी जरूरतों की व्यापक समीक्षा करने की उनकी सिफारिश के बावजूद, मंत्रालय ने उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए बहुत कम कार्य किए हैं। समिति एक बार फिर मंत्रालय को एनआईसी में मानव संसाधन की कमी के मुद्दे पर विचार करने की सिफारिश करती है। अवसंरचना के संबंध में, समिति का यह सुविचारित मत है कि मंत्रालय को जिला स्तर पर अवसंरचना में सुधार के लिए पूंजी शीर्ष के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर डालने की आवश्यकता है। समिति चाहती है कि मंत्रालय एनआईसी में मानव संसाधन और बुनियादी अवसंरचना संबंधी बाधाओं दोनों को यथाशीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मानव संसाधन के उन्नयन के लिए पहले का प्रस्ताव बिना किसी ठोस परिणाम के अटक गया है, समिति सिफारिश करती है कि सभी अंशधारकों को शामिल कर संगठन की मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई व्यावहारिक योजना तैयार की जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

डाटा सेंटर और जिला अवसंरचना प्रभाग:

• पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और उनके राष्ट्रीय रोल-आउट ने इनमें और कोर सेवाओं जैसे डेटा सेंटर, नेटवर्क संचालन, साइबर सुरक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि में मानव शक्ति संसाधनों में वृद्धि की आवश्यकता को जरूरी कर दिया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जी-टू-सी और जी-टू-जी में डिजिटल सेवाओं के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। आईसीटी को अपनाने से नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डेटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन स्टैक, आईजीओटी, संदेश, प्रशिक्षण आदि जैसे विशेष बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता भी शुरू हो गई है।

• एनआईसी को सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एनआईसी (मुख्यालय) में जनशक्ति संसाधनों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को समायोजित करने के लिए जगह की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्थित एनआईसी के मास्टर अर्थ स्टेशन (एमईएस) साइट के पुनर्निर्माण/पुनर्विकास द्वारा स्थान की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

• एमईएस साइट के पुनर्विकास से केवल 35000 वर्गफुट प्रयोग करने योग्य स्थान उपलब्ध होगा, जो आंशिक रूप से एनआईसी की स्थान संबंधी आवश्यकता को पूरा करेगा।

• इस संबंध में एनआईसी के अनुरोध पर सीपीडब्ल्यूडी ने 85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मौजूदा एमईएस साइट के पुनर्निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

• सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लेआउट और अनुमानित लागत की सहमति और अनुमोदन के बाद प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) संबंधी स्थिति से सीपीडब्ल्यूडी को अवगत करा दिया गया है। साइट को सीपीडब्ल्यूडी को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

• विभिन्न एजेंसियों से अनुमोदन लेना, निर्माण कार्य के लिए एजेंसी के चयन के लिए निविदा तैयारी आदि जैसी पूर्व-निर्माण गतिविधियां सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू की गई हैं।

• पूरे देश में 762 एनआईसी जिला केंद्र (नवनिर्मित जिलों सहित) हैं और प्रत्येक जिला केंद्र में कम से कम दो तकनीकी जनशक्ति द्वारा संचालित है, जो जिला प्रशासन को इसकी आईसीटी आवश्यकता और ई-गवर्नेंस में मदद करता है। जिला प्रशासन में सुधार करने के लिए एनआईसी, जिला केंद्रों को आईसीटी समर्थन, नेटवर्क कनेक्टिविटी आदि के संदर्भ में आवश्यक बुनियादी आईसीटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कर रहा है। एनआईसी जिला केंद्रों के लिए स्थान संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

• 2013-2018 की अवधि में 17 राज्यों में 88 नए एनआईसी जिला केंद्र बनाए गए हैं।

• 2021-2022 में 10 राज्यों में फैले 20 नए एनआईसी जिला केंद्रों को मंजूरी दी गई है और इनकी स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

• वर्तमान में 5 राज्यों में 20 नए एनआईसी जिला केंद्रों की स्थापना को अनुमोदित करने की प्रक्रिया चल रही है।

जनशक्ति की कमी:

वर्ष 2014 में एनआईसी में 1407 (अब 1392 पर काम किया गया) पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रस्ताव को सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद माननीय मंत्री, ई एंड आईटी द्वारा अनुमोदित किया गया था और सहमति के लिए इसे वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने वाले वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव की विधिवत गठित आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई है और विस्तृत स्पष्टीकरण फरवरी,2020 में आगे विचार करने के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से वित्त मंत्रालय के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियों और अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिसे संकलित किया गया है और सितंबर 2021 में प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा विभिन्न राज्यों में 128 नव निर्मित जिलों के लिए नए एनआईसी जिला केंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक 256 पदों के सृजन द्वारा परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 7 देखें)

अध्याय-पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

<u>राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 13**)**

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का उद्देश्य संसाधनों के आदान-प्रदान और सहयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ना है। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है। संस्थानों के लिए 1752 लिंक्स प्रारंभ किए गए हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों से 522 एनकेएन लिंक जोड़े गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एनकेएन देश में सभी ई-गवर्नेंस पहलों के लिए बैकबोन नेटवर्क है। शैक्षिक संस्थानों के अलावा, एनकेएन चार राष्ट्रीय डाटा केंद्रों (एनडीसी), 31 राज्य डाटा केंद्रों (एसडीसी), 30 स्वैन राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), मंत्रालयों, विभागों और मिशन उन्मुख एजेंसियों को जोड़ता है, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डीआरडीओ, पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष, आईसीएआर, एमएचआरडी आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि डिजिटल सूचना सूचना-मार्ग (डीआईआई), जो एनकेएन का अगला चरण है, अनुमोदन के अंतिम चरण में है। डीआईआई प्रभावी शासन की आवश्यकता को पूरा करेगा और अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के मध्य सहयोग और ज्ञान संसाधन साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। समिति नोट करती है कि 786 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले, 2022-23 के दौरान एनकेएन के लिए बजट अनुमान चरण में 650 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। समिति को बताया गया है कि अनुपूरक अनुदान मांगों में अतिरिक्त निधियों की मांग करने के प्रयास किए जाएंगे।

समिति का मत है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एक तरफ सुदृढ़ और विश्वसनीय नेटवर्क प्रदान करने तथा दूसरी तरफ देश में ज्ञान को समृद्ध करने के लिए सूचना और ज्ञान तक निशुल्क पहुंच के दोनों लक्ष्यों को पूरा करता है। समिति का मत है कि परियोजना के सफल कार्यान्वयन से हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी प्रदान करने और सहयोगी संस्थाओं के बीच ज्ञान भागीदारी को सुगम बनाने से अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि यूनिफाइड गवर्मेंट नेटवर्क जो की अग्रिम चरण पर है, बनाने के लिए एनकेएन अर्थात डिजिटल इंफॉर्मेशनइंफों के अगले चरण के लिए अनुमोदन शीघ्र लिया जाए

क्योंकि एनकेएन देश में सभी ई-गवर्नेंस उपायों के लिए बैकबोन नेटवर्क भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि ई-गवर्नेंस कि पहलुओं के सफल कार्यान्वयन के लिए एनकेएन को सुदृढ़ किया जाए। इस बारे में समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधियों के आबंटन हेतु सभी उपाय करें।

सरकार का उत्तर

यह नोट कर लिया गया है। प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

नई दिल्ली; **प्रतापराव जाधव,**
8 फ़रवरी , 2023 **सभापति,**
19 *माघ*, 1944 (*शक*) **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**